खंड—7 सत्र—7 / अंक—38

मंगलवार 21 नवम्बर, 2000 / कार्तिक 30, 1922 (शक)

दिल्ली विधान सभा

को

कार्यवाही

दूसरी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खंड-7 में अंक 38 से 44 तक सम्मिलित हैं)

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विषय सूची

सत्र-7(i) मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000 / कार्तिक 30, 1922 (शक) अंक-38

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी, मंत्रि परिषद्, विधान सभा सदस्यों की क्षेत्रानुसार सूची	iii-xvi
2.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
3.	विविध/सदन में शोर–शराबा	3
4.	प्रस्ताव (सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के बारे में)	4-5
5.	* तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 1 से 20)	5-39
6.	* अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. सं. 1 से 28)	39-72

* सदन में शोर–शराबा होने एवं सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित हो जाने के कारण अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 21.11.2000 के लिए लगाए गए प्रश्नों को विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम–44 के अंतर्गत कार्यवाही में सम्मिलित किया गया है।

मंत्रि-परिषद्

(1) श्रीमती शीला दीक्षित	1) प्रशासनिक सुधार विभाग 2) सामान्य प्रशासन विभाग 3) गृह विभाग 4) विधि एवं न्याय और विधायी कार्य 5) जन सम्पर्क विभाग 6) सेवा विभाग 7) सतर्कता विभाग 8) जल 9) अन्य किसी मंत्री को आबंटित न किये गये समस्त विभाग
(2) श्री महिन्द्र सिंह साथी	1) वित्त विभाग 2) योजना विभाग 3) राजस्व विभाग
(3) डा. अशोक कुमार वालिया	1) शहरी विकास विभाग 2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3) पर्यावरण एवं वन और वन्य जीवन विभाग
(4) श्रीमति कृष्णा तीरथ	1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग 2) समाज कल्याण विभाग 3) श्रम विभाग 4) रोजगार विभाग 5) चुनाव

(5) **डॉ. नरेन्द्र नाथ**	1) उद्योग विभाग
	2) पर्यटन विभाग
	3) शिक्षा विभाग
	4) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
	5) भाषा विभाग
	6) पावर
(6) **श्री योगानन्द शास्त्री**	1) विकास विभाग
	2) खाद्य एवं संभरण विभाग
	3) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
(7) **श्री परवेज़ हाशमी**	1) परिवहन विभाग
	2) भूमि एवं भवन विभाग

टीप : उपरोक्त कार्य का आबंटन उन मामलों पर लागू नहीं होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा की प्रदत्त शक्तियों के क्षेत्र से बाहर हैं।

COUNCIL OF MINISTERS

1.	**Smt. Sheila Dikshit, Chief Minister**	i) Administrative Reforms ii) General Administration Department iii) Home Department iv) Law & Justice and Legislative Affairs v) Public Relations vi) Services Department vii) Vigilance Department viii) Water ix) All other Departments not allocated elsewhere
2.	**Shri Mahinder Singh Sathi**	i) Finance Department ii) Planning Department iii) Revenue Department
3.	**Dr. A.K. Walia**	i) Urban Development ii) Medical, Public Health & Family Welfare iii) Environment, Forest & Wild Life
4.	**Ms. Krishna Tirath**	i) Welfare of SC/ST ii) Social Welfare iii) Labour iv) Employment v) Election
5.	**Dr. Narender Nath**	i) Industries Department

ii) Tourism Department

iii) Education Department

iv) Training & Technical Education

v) Language Department

vi) Power

6.	**Shri Yoganand Shastri**	i) Development Department ii) Food & Civil Supplies iii) Irrigation & Flood Control Department
7.	**Shri Parvez Haashmi**	i) Transport Department ii) Land & Building Department

Note : The above allocation of business will not be applicable to a matter which falls outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly.

अधिसूचना संख्या 308/दिल्ली-वि. स. 98 दिनांक 30 नवम्बर, 1998 की अनुसूची

भारत निर्वाचन आयोग

राज्य का नाम-राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1. सरोजनी नगर	श्री रामभज	भारतीय जनता पार्टी
2. गोल मार्किट	श्रीमती शीला दीक्षित	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
3. मिन्टो रोड़	श्रीमती ताजदार बाबर	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
4. कस्तूरबा नगर	श्री सुशील चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
5. जंगपुरा	श्री तरविन्द्र सिंह मारवाह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
6. ओखला	श्री परवेज हाशमी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
7. कालकाजी	श्री सुभाष चोपड़ा	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
8. मालवीया नगर	डा. योगानन्द शास्त्री	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
9. हौजखास	श्रीमती किरण वालिया	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
10. आर. के. पुरम	श्री अशोक सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
11. दिल्ली छावनी	श्रीमती किरन चौधरी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
12. जनकपुरी	प्रो. जगदीश मुखी	भारतीय जनता पार्टी
13. हरी नगर	श्री हरशरण सिंह बल्ली	भारतीय जनता पार्टी
14. तिलक नगर	श्री जसपाल सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
15. राजौरी गार्डन	श्री अजय माकन	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
16. मादीपुर (अ.जा.)	श्री माला राम गंगवाल	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

17. त्रिनगर	श्री नंद किशोर गर्ग	भारतीय जनता पार्टी
18. शकूर बस्ती	डा. एस. सी. वत्स	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
19. शालीमार बाग	श्री रविन्द्र नाथ	भारतीय जनता पार्टी
20. बादली	श्री जय भगवान अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
21. साहिबाबाद दौलतपुर	श्री रमेश कुमार	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
22. बवाना (अ.जा.)	श्री सुरेन्द्र कुमार	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
23. सुल्तानपुर माजरा (अ.जा)	श्रीमती सुशीला देवी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
24. मंगोलपुरी (अ.जा.)	श्री राज कुमार चौहान	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
25. नांगलोई जाट	श्री प्रेम चन्द	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
26. विष्णु गार्डन	श्री महिन्द्र सिंह साथी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
27. हस्तसाल	श्री मुकेश शर्मा	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
28. नजफगढ़	श्री कवल सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
29. नसीर पुर	श्री महाबल मिश्रा	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
30. पालम	श्री महेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
31. महिपाल पुर	श्री महेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
32. महरौली	श्री ब्रह्म सिंह तंवर	भारतीय जनता पार्टी
33. साकेत	श्री टेक चन्द शर्मा	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
34. डा. अम्बेडकर नगर	चौ.प्रेम सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
35. तुगलकाबाद (अ.जा)	श्री शीशपाल सिंह	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
36. बदर पुर	श्री रामसिंह नेताजी	निर्दलीय
37. त्रिलोकपुरी (अ.जा.)	श्री ब्रह्मपाल	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

38. पटपड़गंज (अ.जा.)	श्री अमरीश सिंह गौतम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
39. मंडावली	श्रीमती मीरा भारद्वाज	इंडियन नेशनल काँग्रेस
40. गीता कालोनी	श्री अशोक कुमार वालिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
41. गाँधी नगर	श्री अरविन्दर सिंह लवली	इंडियन नेशनल काँग्रेस
42. कृष्णा नगर	श्री हर्ष वर्धन	भारतीय जनता पार्टी
43. विश्वास नगर	श्री नसीब सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
44. शाहदरा	श्री नरेन्द्र नाथ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
45. सीमापुरी (अ.जा.)	श्री वीर सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
46. नन्द नगरी (अ.जा)	श्री रूप चन्द	इंडियन नेशनल काँग्रेस
47. रोहतास नगर	श्री राधेश्याम खन्ना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
48. बाबरपुर	श्री नरेश गौड़	भारतीय जनता पार्टी
49. सीलम पुर	चौधरी मतीन अहमद	निर्दलीय
50. घोण्डा	श्री भीष्म शर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
51. यमुना विहार	श्री साहब सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
52. करावल नगर	श्री मोहन सिंह बिष्ट	भारतीय जनता पार्टी
53. वजीर पुर	श्री दीप चन्द बन्धु	इंडियन नेशनल काँग्रेस
54. नरेला (अ.जा.)	श्री चरण सिंह कन्डेरा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
55. भलस्वा जहांगीर पुर	श्री जे. एस. चौहान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
56. आदर्श नगर	श्री मंगत राम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
57. पहाड़गंज	श्रीमती अंजलि राय	इंडियन नेशनल काँग्रेस
58. मटिया महल	श्री शुएब इकबाल	जनता दल
59. बल्लीमारन	श्री हारून यूसुफ	इंडियन नेशनल काँग्रेस

60. चाँदनी चौक	श्री प्रहलाद सिंह साहनी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
61. तिमार पुर	श्री जगदीश आनन्द	इंडियन नेशनल काँग्रेस
62. माडल टाऊन	श्री कवर करन सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
63. कमला नगर	श्री शादी राम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
64. सदर बाजार	श्री राजेश जैन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
65. मोती नगर	श्री अविनाश साहनी	भारतीय जनता पार्टी
66. पटेल नगर	श्री रमाकान्त गोस्वामी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
67. राजेन्द्र नगर	श्री पूरन चन्द योगी	भारतीय जनता पार्टी
68. करोल बाग (अ.जा.)	श्री मोती लाल बोकोलिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
69. राम नगर (अ.जा.)	श्रीमती दर्शना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
70. बलजीत नगर (अ.जा.)	श्रीमती कृष्णा	इंडियन नेशनल काँग्रेस

आदेश से

(के. आर. प्रसाद)
सचिव

SCHEDULE OF NOTIFICATION NO. 308/DL-LA/98
DATED 30 November, 1998 OF

ELECTION COMMISSION OF INDIA

National Capital Territory of Delhi

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (if any)
1. Sarojini Nagar	Sh. Ram Bhaj	Bharatiya Janta Party
2. Gole Market	Smt. Sheila Dikshit	Indian National Congress
3. Minto Road	Smt. Tajdar Babar	Indian National Congress
4. Kasturba Nagar	Sh. Sushil Choudhery	Bharatiya Janata Party
5. Jangpura	Sh. Tarvinder Singh Marwah	Indian National Congress
6. Okhla	Sh. Parvez Hashmi	Indian National Congress
7. Kalkaji	Sh. Subhash Chopra	Indian National Congress
8. Malviya Nagar	Dr. Yoganand Shastri	Indian National Congress
9. Hauz Khas	Smt. Kiran Walia	Indian National Congress
10. R.K. Puram	Sh. Ashok Singh	Indian National Congress
11. Delhi Contonment	Smt. Kiran Choudhary	Indian National Congress
12. Janakpuri	Prof. Jagdish Mukhi	Bharatiya Janata Party
13. Hari Nagar	Sh. Harsharan Singh Balli	Bharatiya Janata Party
14. Tilak Nagar	Sh. Jaspal Singh	Indian National Congress
15. Rajouri Garden	Sh. Ajay Makan	Indian National Congress
16. Madipur (SC)	Sh. Malaram Gangwal	Indian National Congress
17. Tri Nagar	Sh. Nand Kishore Garg	Bharatiya Janata Party

18. Shakur Basti	Dr. S.C. Vats	Indian National Congress
19. Shalimar Bagh	Sh. Ravinder Nath	Bharatiya Janata Party
20. Badli	Sh. Jai Bhagwan Aggarwal	Bharatiya Janata Party
21. Sahibabad Daulatpur	Sh. Ramesh Kumar	Indian National Congress
22. Bawana (SC)	Sh. Surender Kumar	Indian National Congress
23. Sultanpur Majra (SC)	Smt. Sushila Devi	Indian National Congress
24. Mangolpuri (SC)	Sh. Raj Kumar Chauhan	Indian National Congress
25. Nangloi Jat	Sh. Prem Chand	Indian National Congress
26. Vishnu Garden	Sh. Mahinder Singh Saathi	Indian National Congress
27. Hastsal	Sh. Mukesh Sharma	Indian National Congress
28. Najafgarh	Sh. Kanwal Singh	Indian National Congress
29. Nasir Pur	Sh. Mahabal Mishra	Indian National Congress
30. Palam	Sh. Mahender Yadav	Indian National Congress
31. Mahipalpur	Sh. Mahender Singh	Indian National Congress
32. Mehrauli	Sh. Braham Singh Tanwar	Bhartiya Janata Party
33. Saket	Sh. Tek Chand Sharma	Indian National Congress
34. Dr. Ambedkar Nagar (SC)	Ch. Prem Singh	Indian National Congress
35. Tughlakabad (SC)	Sh. Shish Pal Singh	Indian National Congress
36. Badarpur	Sh. Ram Singh Netaji	Independent
37. Trilokpuri (SC)	Sh. Brahm Pal	Indian National Congress
38. Patparganj (SC)	Sh. Amrish Singh Gautam	Indian National Congress
39. Mandawali	Smt. Meera Bhardwaj	Indian National Congress

40. Geeta Colony	Sh. Ashok Kumar Walia	Indian National Congress
41. Gandhi Nagar	Sh. Arvinder Singh Lovely	Indian National Congress
42. Krishna Nagar	Sh. Harsh Vardhan	Bharatiya Janata Party
43. Vishwas Nagar	Sh.Naseeb Singh	Indian National Congress
44. Shahdara	Sh. Narender Singh	Indian National Congress
45. Seema Puri (SC)	Sh. Veer Singh	Indian National Congress
46. Nand Nagri (SC)	Sh. Roop Chand	Indian National Congress
47. Rohtas Nagar	Sh. Radhey Shyam Khanna	Indian National Congress
48. Babarpur	Sh. Naresh Gaur	Bharatiya Janata Party
49. Seelampur	Ch. Mateen Ahmad	Independent
50. Ghonda	Sh. Bheeshm Sharma	Indian National Congress
51. Yamuna Vihar	Sh. Sahab Singh Chauhan	Bharatiya Janata Party
52. Qarawal Nagar	Sh. Mohan Singh Bisht	Bharatiya Janata Party
53. Wazirpur	Sh. Bandhu Deep Chand	Indian National Congress
54. Narela (SC)	Sh. Charan Singh Kandera	Indian National Congress
55. Bhalswa Jahangirpur	Sh. J.S. Chauhan	Indian National Congress
56. Adarsh Nagar	Sh. Mangat Ram	Indian National Congress
57. Pahar Ganj	Smt. Anjali Rai	Indian National Congress
58. Matia Mahal	Sh. Shoaib Iqbal	Janata Dal
59. Ballimaran	Sh. Haroon Yusuf	Indian National Congress
60. Chandni Chowk	Sh. Prahlad Singh Sawhney	Indian National Congress
61. Timarpur	Sh. Jagdish Anand	Indian National Congress

62. Model Town	Sh. Kanwar Karan Singh	Indian National Congress
63. Kamla Nagar	Sh. Shadi Ram	Indian National Congress
64. Sadar Bazar	Sh. Rajesh Jain	Indian National Congress
65. Moti Nagar	Sh. Avinash Sahni	Bharatiya Janata Party
66. Patel Nagar	Sh. Rama Kant Goswami	Indian National Congress
67. Rajindra Nagar	Sh. Puran Chand Yogi	Bharatiya Janata Party
68. Karol Bagh (SC)	Sh. Moti Lal Bokolia	Indian National Congress
69. Ram Nagar (SC)	Smt. Darshna	Indian National Congress
70. Baljit Nagar (SC)	Smt. Krishna	Indian National Congress

By Order

(K.R. PRASAD)
Secretary

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7	दूसरी विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिन	अंक-38

दिल्ली विधान सभा

मंगलवार, दिनांक: 21 नवम्बर, 2000/ कार्तिक 30, 1922 (शक)

सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे आरंभ हुई।

अध्यक्ष महोदय (**चौ. प्रेम सिंह**) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :–

1.	श्री अजय माकन	18.	श्री जय भगवान
2.	श्री अमरीश सिंह गौतम	19.	श्री जसपाल सिंह
3.	श्रीमती अंजलि राय	20.	श्री कंवल सिंह
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	21.	श्री कंवर करण सिंह
5.	श्री अशोक सिंह	22.	श्री महाबल मिश्रा
6.	श्री अविनाश साहनी	23.	श्री महेन्द्र यादव
7.	श्री भीष्म शर्मा	24.	श्री माला राम गंगवाल
8.	श्री ब्रह्म पाल	25.	श्री मंगत राम सिंघल
9.	श्री ब्रहम सिंह तंवर	26.	श्री मतीन अहमद
10.	श्री चरण सिंह कंडेरा	27.	श्रीमती मीरा भारद्वाज
11.	श्रीमती दर्शना राम कुमार	28.	श्री मोहन सिंह बिष्ट
12.	श्री दीप चन्द बन्धु	29.	श्री मोती लाल बोकोलिया
13.	श्री हारून युसूफ	30.	श्री मुकेश शर्मा
14.	श्री हरशरण सिंह बल्ली	31.	श्री नन्द किशोर गर्ग
15.	डा. हर्षवर्धन	32.	श्री नरेश गौड़
16.	श्री जगदीश आनन्द	33.	श्री नसीब सिंह
17.	प्रो. जगदीश मुखी	34.	श्री प्रेम चन्द कौशिक

35. श्री पूरन चन्द योगी
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. श्री राधेश्याम खन्ना
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राज कुमार चौहान
40. श्री राम भज
41. श्री रमा कान्त गोस्वामी
42. श्री राम सिंह नेताजी
43. श्री रमेश कुमार
44. श्री रविन्द्र बंसल
45. श्री रूप चन्द
46. श्री साहब सिंह चौहान
47. डा. एस. सी. वत्स
48. श्री शादी राम
49. श्री शीश पाल
50. श्री शोएब इकबाल
51. श्री सुभाष चोपड़ा
52. श्री सुरेन्द्र कुमार
53. श्री सुशील चौधरी
54. श्रीमती ताजदार बाबर
55. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
56. श्री टेक चन्द
57. श्री वीर सिंह
58. श्री जिले सिंह

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7	मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000/ कार्तिक 30, 1922 (शक)	अंक-38

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (**चौ. प्रेम सिंह**) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत-वन्देमातरम्)

विविध/सदन में शोर-शराबा

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, दिल्ली की सभी इंडस्ट्री बन्द हो गई हैं.*व्यवधान..*

(पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने नारे बाजी की)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए.....*व्यवधान.....*

(दोनों पक्षों की तरफ से नारे लगाये जाते रहे)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब शांत हो जायें....*व्यवधान....* आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।.....*व्यवधान.....*

(सभी विपक्षी सदस्य वैल में आए और अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बैठ जाइये, आप कृपया बैठ जाइए और हाउस को चलने दीजिए....*व्यवधान....*

(सदन में दोनों पक्षों द्वारा नारेबाजी)

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित हुई)

सदन पुनः 2.17 बजे अपराह्न समवेत हुआ

*अध्यक्ष महोदय (**चौ. प्रेम सिंह**) पीठासीन हुए।*

प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मैं एक रूलिंग देना चाहता हूं। आप कृपया अपनी सीटों पर बैठिये। यह जो सीरियस मामला है उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सीरियसली लेंगे। मुझे एक प्रस्ताव श्री अजय माकन और श्री मुकेश शर्मा ने नियम 114(ii) में दिया है। माकन जी, आप प्रस्ताव रखिये।

.....अतंरबाधाएं.....

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में बैठ कर नारेबाजी)

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी, मैंने आपका नाम बोल दिया है। आप बैठिये। माकन जी, आप बोलिये।

श्री अजय माकन : अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं–

"That the business scheduled for 21st November, 2000 be postponed to facilitate the Members of Legislative Assembly of Delhi to submit a Memorandum to the Prime Minister demanding necessary amendments in Delhi Master Plan to provide respite for millions of starving workers in the affected industrial units, so that the violent situation in Delhi due to the closure of such industrial units can be avoided."

अध्यक्ष महोदय, यह मोशन मैं रूल 114(2) के तहत रखना चाहता हूं ताकि हम सब के सब लोग मास्टर प्लान में अमेंडमेंट कराने के लिए प्रधान मंत्री से जा करके मिल सकें और अपना मेमोरंडम प्रधानमंत्री को दे सकें। मैं आपके माध्यम से मेमोरंडम हाउस में रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अजय माकन जी ने जो अभी यह प्रस्ताव रखा है कि आज के लिए हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाये–

मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब सदन की कार्यवाही कल दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही बुधवार, 22.11.2000 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली का लाल डोरा बढ़ाने के लिए वर्ष 1994 से किस–किस गांव में कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा आज उनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ गांवों का लाल डोरा एवं चकबन्दी का कार्य 15 वर्ष पूर्व शुरू होने के पश्चात भी पूरा नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां तो उन गांवों की संख्या क्या है और इसमें देरी का क्या कारण हैं;

(घ) चकबन्दी एवं लाल डोरा बढ़ाने का कार्य सभी गांवों में कब तक पूरा हो जायेगा?

(ङ) जिन गांवों में यह कार्य पूरा हो चुका है उनका विवरण क्या है; और

(च) जिन गांवों में लाल डोरा बढ़ाना अब संभव नहीं है उनका विवरण क्या है?

विकास मंत्री : (क) लाल डोरा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। चकबन्दी में गांवों की आबादी क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। दिल्ली में 1994 से 77 गांवों में चकबन्दी का कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 1994 से गांव बामनोल में चकबन्दी का कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 21(1) की अवस्था तक पूर्ण किया जा चुका है बाकी गांवों में कार्य प्रगति पर है। गांवों की सूची सलंग्न है। (सलंग्नक–1)।

(ख व ग) जी हां। बिजवासन गांव में 15 वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी का कार्य चल रहा है। कमी बेशी पूरी करके अंतिम रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। चकबन्दी अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है व्यवहारिक कारणों के अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि चकबंदी की प्रक्रिया में देरी मुख्यतः गांव वासियों में एक मत न होने, संबंधित अधिकारियों के बहुत जल्दी तबादले एवं ग्राम वासियों द्वारा विभिन्न चरणों में उठाई गई आपत्तियों एवं संबंधित नियमों के अधीन किये प्रार्थना पत्रों का संबंधित पक्षों की सुनवाई के पश्चात निपटारा करने में लगी लम्बी समय अवधि के कारण से हुई है।

(घ) चकबंदी की प्रक्रिया प्रशासनिक एवं वैधानिक तौर पर मूलतः जटिल है चकबंदी स्कीम बनाने के समय सभी पक्षों के विचारों का समन्वय करने का प्रयत्न किया जाता है इसके अलावा कई चरणों पर विभिन्न संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमिधरों द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं संबंधित नियमों के आधीन लगाये गये प्रार्थना पत्रों का निपटारा संबंधित पक्षों की सुनवाई के पश्चात करना होता है अतः इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और अगर ग्राम वासियों में स्कीम के बारे में एकमतता न हो तो विवादों की संख्या अधिक होती है और चकबंदी में और अधिक समय लगता है। इस परिप्रेक्ष्य में चकबंदी की कार्यवाही की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती और न ही नियमों में ही कोई समय सीमा निर्धारित हैं।

(ङ) दिल्ली के कुल 212 गांवों में चकबंदी कार्य पूरा हा चुका है तथा इनका रिकार्ड दाखिल हो चुका हैं जिनकी सूची संलग्न है। (संलग्नक–2) इनमें से 71 गांवों को पुनः चकबंदी के लिये वर्ष 1994 से जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(च) चकबंदी में गांव के आबादी क्षेत्र को ही बढ़ाया जाता है। मुख्यतः गांव आबादी का बढ़ाना भूमिधरों की भूमि की उपलब्धता एवं भूमिधरों द्वारा आबादी बढ़ाने की मांग पर निर्भर करता है कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि गांव की जमीन का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण आदि में भी गांव की आबादी क्षेत्र बढ़ाना सम्भव नहीं हो पाता।

List of Village where Chakbandi was started on the Dates mentioned against each

Sl.No.	Name of Village	Date since when chakbandi was started
1	2	3
1.	Satbari	22-3-96
2.	Aaya Nagar	-do-
3.	Chattarpur	-do-
4.	Sultanpur	15-11-96
5.	Chandhola	-do-
6.	Rajpur Khurd	-do-
7.	Gadaipur	-do-
8.	Bhati	In 1996
9.	Asola	15-11-1996
10.	Fatehpur Beri	-do-
11.	Madan Garhi	-do-
12.	Dichaon Kalan	-do-
13.	Jharoda Kalan	-do-
14.	Samaspur	-do-
15.	Qaaipur	-do-
16.	Soongarpur	-do-

1	2	3
17.	Malikpur	-do-
18.	Surerha	-do-
19.	Khar-khari Nahar	-do-
20.	Surakhpur	-do-
21.	Mundhela Kalan	-do-
22.	Jhul-Jhuli	-do-
23.	Rauta	-do-
24.	Khar-Khari Road	-do-
25.	Pindwala Khurd	17-5-96
26.	Malikpur	15-11-96
27.	Gumen Hera	-do-
28.	Daryapur Khurd	-do-
29.	Tajpur Khurd	-do-
30.	Qutaba Pur	-do-
31.	Daurala	-do-
32.	Asalatpur Khabia	-do-
33.	Bamnoli	22-3-96
34.	Samalka	-do-
35.	Rajokri	-do-
36.	Rangpuri	22.3.96
37.	Ghitorni	-do-
38.	Bawana	15-11-96
39.	Sultanpur Debas	23-2-96

1	2	3
40.	Bajid pur Thakran	-do-
41.	Hareli	27-11-96
42.	Katewara	22-3-96
44.	Nizampur Rashidpur	-do-
45.	Mohdpur Majra	-do-
46.	Sulanpur Majra	-do-
47.	Chandpur	-do-
48.	Punjab Knor	-do-
49.	Garhi Rindhaula	-do-
50.	Madanpur Debas	-do-
51.	Mubarakpur Debas	-do-
52.	Qutab Garh	-do-
53.	Rani Khera	-do-
54.	Saubda	-do-
55.	Rasool Pur	-do-
56.	Khera Kalan	-do-
57.	Bankner	-do-
58.	Ghogha	-do-
59.	Mukhmelpur	-do-
60.	Palli	-do-
61.	Singhu	-do-
62.	Mohdpur	-do-
63.	Tajpur Kalan	-do-

1	2	3
64.	Tigipur	-do-
65.	Zindpur	-do-
66.	Bapraula	-do-
67.	Rannola	-do-
68.	Tilangpur Kotla	-do-
69.	Pehladpur Bangar	15-11-96
70.	Barwala	-do-
71.	Lebaspur	-do-
72.	Siraspur	-do-
73.	Neelwali	In 1996
74.	Mundhela Khurd	24-9-97
75.	Khampur	5-9-1998
76.	Nanak Heri	In 1996
77.	Raghopur	-do-

List of Villages in which consolidation has been completed so far

S.No.	Name of Village
1	2
1.	Kamal Pur
2.	Badli
3.	Samai pur
4.	Sakur Pur
5.	Jiwan Pur Johri Pur
6.	Khuraji Khas

1	2
7.	Bhalswa Jahangir Pur
8.	Libas Pur
9.	Jharoda Mazara Burari
10.	Sahi Pur
11.	Samas Pur Jagir
12.	Budan Pur
13.	Jat Khere
14.	Jind Pur
15.	Sahaur Pur
16.	Ibrahim Pur
17.	Kadi Pur
18.	Darya Pur Kalan
19.	Nangal Thakran
20.	Narela
21.	Bawana
22.	Singhu
23.	Siras Pur
24.	Sungar Pur
25.	Pansali
26.	Puth Khurad
27.	Barwala
28.	Khampur
29.	Tigi Pur

1	2
30.	Salahpur Majra
31.	Hamidpur
32.	Ghogha
33.	Tehri Daulatpur
34.	Bajid Pur Thakran
35.	Khera Kalan
36.	Bhakhtawarpur
37.	Bher Garh
38.	Akbarpur Majra
39.	Tikri Khurd
40.	Mukhmelpur
41.	Palla
42.	Qutabgarh
43.	Shahpur Garhi
44.	Tajpur Kalan
45.	Sultanpur Dabhas
46.	Razapur Kalan
47.	Singhola
48.	Mohdpur Ramzanpur
49.	Fatehpur Jat
50.	Bakoli
51.	Harewali
52.	Garhi Khusre

1	2
53.	Alipur
54.	Qulakpur
55.	Daryapur Kalan
56.	Mamurpur
57.	Nangli Peena
58.	Auchandi
59.	Katawara
60.	Punjab Kner
61.	Hiranki
62.	Lampur
63.	Bakner
64.	Chandpur
65.	Pehladpur Bangar
66.	Jhangola
67.	Mangol Pur Kalan
68.	Qazi Pur
69.	Kair
70.	Jaffarpur Hiran Kudna
71.	Jaffarpur Kalan
72.	Chatesar
73.	Ladpur
74.	Dindarpur
75.	Surerna

1	2
76.	Sawada
77.	Galibpur
78.	Daryapur Khurd
79.	Issepur
80.	Dichaon Kalan
81.	Jharoada Kalan
82.	Surakhpur
83.	Kanjhawala
84.	Bapraula
85.	Garhi Randhala
86.	Sherpur Dairy
87.	Mundhela
88.	Bakar Garh
89.	Najafgarh
90.	Malikpur Jair-Urf Najafgarh
91.	Masoodabad
92.	Roshanpura
93.	Sat Bari
94.	Nangal Devat
95.	Chandan Mela
96.	Ghitorni
97.	Aaya Nagar
98.	Gadaipur

1	2
99.	Neb Sarai
100.	Saidabad
101.	Madan Gir
102.	Pul-Pehlad
103.	Tajpur
104.	Kapashera
105.	Rajokari
106.	Sahupur
107.	Kotla Mahagiran
108.	Aali
109.	Chhattarpur
110.	Sultanpur
111.	Tigri
112.	Malikpur Kohi @ Rangpuri
113.	Jaitpur
114.	Tegapur
115.	Khanpur
116.	Sultanpur
117.	Mithapur
118.	Mahilpal Pur
119.	Molar Band
120.	Samalka
121.	Badarpur

1	2
122.	Kirari Suleman Nagar
123.	Asalatpur Khadar
124.	Tihar
125.	Ragepur
126.	Madanpur Dabas
127.	Begampur
128.	Bindapur
129.	Mirzapur
130.	Nanak Heri
131.	Hastsal
132.	Budhela
133.	Bamnoli
134.	Pindawala Khurd
135.	Kakrola
136.	Chauknandi
137.	Kharkhari Rond
138.	Tilanpur Kotla
139.	Mubarakpur Debas
140.	Garhi Peeran
141.	Qamurdin Nagar
142.	Dabri
143.	Badeesra
144.	Khyala

1	2
145.	Nawada Majra Hastsal
146.	Amarhai
147.	Rasool Pur
148.	Matiala
149.	Qutaba Pur
150.	Tatarpur
151.	Rani Khera
152.	Nanglai Jat
153.	Lohar Heri
154.	Pochan Pur
155.	Jawala Heri
156.	Posangipur
157.	Peth Kalan
158.	Rajpur Khurd
159.	Daulatpur
160.	Keshopur
161.	Palam
162.	Nilothi
163.	Ranhola alias Saffipur
164.	Kurani
165.	Iradat Nagar @ Naya Bans
166.	Nangli Sakrawati
167.	Badola

1	2
168.	Reela Khanpur
169.	Tajpur Khurd
170.	Shikarpur
171.	Kangan Heri
172.	Hulambi Khurd
173.	Samaspur Khalsa
174.	Jhuljhuli
175.	Sarangpur
176.	Rawta
177.	Jenapur
178.	Jhatikra
179.	Karawal Nagar
180.	Neelwal
181.	Khaira
182.	Ghumen Hera
183.	Tikri Kalan
184.	Paprawat
185.	Nizampur Rashidpur
186.	Mandauli
187.	Mohdpur Majri
188.	Dhool Siras
189.	Burari
190.	Gheera

1	2
191.	Rithala
192.	Deoli
193.	Sahibad Daulatpur
194.	Khera Khurd
195.	Sanoth
196.	Dhansa
197.	Jaunti
198.	Mehrauli
199.	Bharthal
200.	Karala
201.	Ujwa
202.	Mitraon
203.	Budhpur Bijapur
204.	Meongheshpur
205.	Khera Dabar
206.	Dera Mandi
207.	Chawala
208.	Kharkari Jat Mal
209.	Goyala Khurd
210.	Hasan Pur
211.	Jain Pur
212.	Mundka

2. **श्री साहिब सिंह चौहान** : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित प्रोटोकॉल के अनुसार सदस्य विधानसभा का क्रम दिल्ली के मुख्य सचिव से भी ऊपर है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभागों के अधिकारी उक्त प्रोटोकॉल के अवहेलना/अनदेखी करते हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार के सभी विभागों को लिखित आदेश दिया गया है कि वे विधायक के प्रोटोकोल व संसदीय परम्पराओं के अनुसार विशेषाधिकार को दृष्टिगत कर सदस्य का उचित सम्मान करें; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में कब तक लिखित आदेश जारी कर दिये जायेंगे?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां। सेरेमोनियल एवं सरकारी समारोहों के लिए सदस्य विधान सभा का क्रम दिल्ली के मुख्य सचिव से ऊपर है।

(ख) जी नहीं।

(ग एवं घ) सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधायकों के प्रोटोकाल व संसदीय परम्परओं के अनुसार उन्हें सम्मान देंगे।

3. **श्री मालाराम गंगवाल** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में मादीपुर, ख्याला, पीरागढ़ी एवं ज्वालाहेड़ी ग्रामसभाओं की कितनी खाली भूमि कहां–कहां उपलब्ध है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की भूमि को किस प्रकार प्रयोग करने की योजना है; और

(ग) खाली भूमि का उपयोग गाव वासियों एवं अन्य निवासियों के उपयोग के लिये समुदाय भवन, अस्पताल, वोकेशनल इंस्टीटयूट, महिला आश्रम आदि बनाने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है व इसकी क्या कार्य–प्रणाली है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : सूचना एकत्रित की जा रही है।

4. **श्री वीर सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बाल मजदूरी प्रथा रोकने पर कानून बनाया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर इस कानून का उल्लघंन किया जा रहा है;

(ग) दिल्ली में कुल कितन बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस कानून क उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो कितने लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा बाल मजदूरों के पुनरुत्थान का प्रावधान है और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने पिछले दो वर्षों में कितने बाल मजदूरों का पुनरुत्थान किया है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में बाल श्रमिकों की कुल संख्या जानने के लिए कोई जनगणना नहीं की गई है इसलिए कुल बाल श्रमिकों की संख्या देना संभव नहीं होगा।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1996 में 1740 बाल श्रमिक कार्य करते पाये गये, वर्ष 1997 में 970, वर्ष 1998 में 06, वर्ष 1999 में 25 बाल श्रमिक कार्य करते पाये गये और उनके नियोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की गयी।

(च) बाल श्रम से संबंधित अधिनियमों में बाल मजदूरों के पुनरुत्थान का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) उपरोक्त संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

5. **श्री मुकेश शर्मा :**

श्री रमाकांत गोस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी में दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री के माध्यम से हो रहे राजस्व में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, क्यों;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1998–99, 1999–2000 व चालू वित्त वर्ष 2000–2001 में शराब की बिक्री से प्राप्त हुये राजस्व में भारी अंतर आया है;

(घ) उसका विवरण क्या है;

(ङ) वर्तमान सरकार बनने के बाद दिल्ली में शराब की कितनी नई दुकानें खोली गई तथा सबसे अधिक किस क्षेत्र में; और

(च) शराब की दुकानों का 10.00 बजे तक समय कब से बढ़ाया गया था; और

(छ) क्या यह भी सत्य है कि समय 10.00 बजे तक बढ़ने के बाद भी राजस्व घटा है?

वित्त मंत्री : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में सवाल ही नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) मांगे गए वर्षों में राजस्व का आंकड़ा इस प्रकार है –

1998–1999 526.50 करोड़

1999–2000 566.00 करोड़

2000–2001 334.47 करोड़

(17.11.2000 तक)

(ङ) वर्तमान सरकार के बनने के बाद 33 नई दुकानें खोली गई (देशी शराब की 8, देश में बनी विदेशी शराब – 25) देशी शराब की 5 दक्षिणी क्षेत्र में, देश में बनी विदेशी शराब – 6 उत्तरी क्षेत्र में''

(च) 17.5.2000

(छ) जी नहीं, श्रीमान।

6. **श्री राधेश्याम खन्ना**

डा. हर्षवर्धन :

क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभा भवन पुराना सचिवालय से कुछ सरकारी कार्यालय को बदल कर नये सचिवालय भवन में स्थानांन्तरित करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां तो नये सचिवालय भवन में क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) इस नये सचिवालय भवन और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ;

(घ) सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बैठने के लिए इस परिसर में क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ङ) इस नये भवन में कौन–कौन से विभाग/कार्यालय स्थानांतरित किये जा रहे हैं, और

(च) नये भवन में जाने से रिक्त हुए स्थानों का क्या उपयोग किया जायेगा?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां, पुराने सचिवालय से कुछ कार्यालयों को नये सचिवालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ख) नये सचिवालय में वांछित सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) कुल संभावित खर्च लगभग 7000 लाख रुपये होगा।

(घ) सचिवालय में विधायकों के लिए स्थायी रूप से बैठने का कोई प्रावधान नहीं है। जब किसी विधायक को जन कार्य हेतु सचिवालय में किसी मंत्री या

अधिकारी से साक्षात्कार के लिए आने की आवश्यकता होगी उन्हें वरीयत के अनुसार सम्मान दिया जायेगा।

(ङ) ऐसे कार्यालयों की सूची संलग्न है।

(च) विधान सभा परिसर में स्थित कार्यालयों के अतिरिक्त खाली किये जाने वाले कार्यालयों के भवनों को उन कार्यालयों को आवंटित किया जायेगा जो इस समय किराये के भवनों में अथवा जर्जर भवनों में चल रहे हैं।

दिल्ली सचिवालय में आने वाले कार्यालयों की प्रस्तावित सूची।

क्रम सं.	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	मुख्य मंत्री कार्यालय
2.	वित्त मंत्री कार्यालय
3.	स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय
4.	खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कार्यालय
5.	उद्योग मंत्री कार्यालय
6.	समाज कल्याण मंत्री कार्यालय
7.	परिवहन मंत्री कार्यालय
8.	मुख्य सचिव कार्यालय
9.	वित्त विभाग
10.	गृह विभाग
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12.	सामान्य प्रशासन विभाग
13.	विधि एवं न्याय विभाग
14.	सेवायें विभाग
15.	प्रशासकीय सुधार विभाग

16. विभागीय जांच के वरिष्ठ आयुक्त

17. अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन हेतु समिति

18. योजना विभाग

19. पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण विभाग

20. सचिव, बाह्य वित्त विभाग

21. शहरी विकास विभाग

22. सूचना एवं तकनीकी विभाग

23. वेतन एवं लेखा कार्यालय

24. भाषा विज्ञान

7. **डा. हर्षवर्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार की वर्तमान की आबकारी नीति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वर्तमान आबकारी नीति के कारण दिल्ली में लोगों द्वारा शराब (अल्कोहल) पीने के मामले में भारी वृद्धि हुई है, विशेषतया दिल्ली के बच्चों में;

(ग) क्या सरकार की समस्त दिल्ली शहर में नई बॉर खोलने की योजना है; और

(घ) पिछले दो वर्षों में ऐसी कुल कितनी बॉर खोली जा चुकी हैं?

वित्त मंत्री : (क) वर्तमान आबकारी नीति के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं :

अ. जनता के कठोर मदिरा में मृदु मदिरा की तरफ जाना।

ब. मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ताकि शहर की जनता तस्करी से लाए गए अथवा निषिद्ध मदिरा से दूर रहें।

स. निषिद्ध मदिरा की तस्करी पर पाबंदी लगाना।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) नए मदिरालय को खोलने का आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही नया मदिरालय खोलने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है, यदि पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं।

(घ) विगत दो वर्षो में खुलने वाले मदिरालय का विवरण इस प्रकार हैं :

अनुज्ञप्ति का प्रकार	संख्या
एल–4	29
एल–5	02
एल–19	04

8. **श्री शीशपाल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी वेतन से कम वेतन देने वाली कितनी फैक्ट्रियां/कम्पनियां सरकार की जानकारी में हैं;

(ख) गत वर्ष में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए जहां कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हुए पाए गए; और

(ग) ऐसी कितनी फैक्ट्रियों/कंपनियों पर छापे मारे गए व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा इस समय 29 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिये जाने के संबंध में कर्मचारियों/यूनियनों से समय–समय पर शिकायतें श्रम कार्यालय में प्राप्त होती रहती हैं, जिन पर उचित कार्यवाही कर कर्मचारियों को निर्धारित दर से वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष 2000 में 31 अक्टूबर तक श्रम कार्यालय में 10253 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) वर्ष 1999 में श्रम कार्यालय के कारखाना निरीक्षकों द्वारा 930 फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया परंतु किसी भी फैक्ट्री में कोई भी बाल श्रमिक (14 वर्ष से कम उम्र का) कार्यरत नहीं पाया गया।

(ग) वर्ष 1999 में बाल श्रमिकों का पता लगाने हेतु श्रम कार्यालय के

कारखाना निरीक्षकों द्वारा 930 कारखानों एवं श्रम निरीक्षकों द्वारा 1776 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यद्यपि कारखानों में कोई बाल श्रमिक कार्य करता नहीं पाया गया, जबकि 25 बाल श्रमिक विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में कार्य करते पाए गए। अतः इस संस्थानों के प्रबंधकों के विरुद्ध दिल्ली दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1954 तथा बाल श्रमिक (नियमन और प्रतिबंध) अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 25 चालान न्यायालयों में दर्ज किए गए हैं।

9. **श्री रमाकांत गोस्वामी** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सात गोसदनों के बारे में पेश की गई गोस्वामी रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ख) क्या सरकार ने इन गोसदनों में सुधार के लिये कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और यदि स्वीकार कर लिया है तो अब तक उस पर कितना अमल हो चुका है;

(ग) आवारा पशुओं की रोकथाम के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए दिल्ली सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार गायों की रक्षा के लिये गोसेवा आयोग बनाने पर विचार कर रही हैं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) गोस्वामी कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा दिनांक 2 मई, 2000 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में की गई। इस बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिन पर पशुपालन विभाग द्वारा कार्यवाही अग्रसित की जा चुकी है।

(ख) कमेटी की रिपोर्ट को लगभग पूर्णतः स्वीकार करते हुए गोसदन मलिकपुर को बंद कर दिया गया है और इस गोसदन की भूमि आबंटन संबंधी लाईसेंस डीड निरस्त की जा रही है।

4 गोसदनों, जैसे पी. एफ. ए. गोसदन बवाना, गोपाल गोसदन हरेवली, गोसदन

गुम्मनहेडा व मानव गोसदन रेवला खानपुर के प्रबंधकों को चेतावनी दी गई कि यदि आगामी 6 महीनों के दौरान कमेटी की सिफारिशों के अनुसार गोसदन प्रबंधन में वांछित सुधार लाने में असमर्थ पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के इन गोसदनों की भूमि आवंटन संबंधी लाईसेंस डीड भी निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है जो गोसदनों में वांछित सुधार, संचालन एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगी।

(ग) उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत, आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा विशेष अभियान लम्बे समय तक चलाया गया था। तथा अभी भी इस दिशा में उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने सभी गोसदन प्रबंधकों को चेतावनी दी कि नगर निगम मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश के बिना, किसी भी पकड़े गये आवारा पशु को गोसदनों से न छोड़ें।

(घ) अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

10. **श्री जगदीश आनंद** : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकायुक्त द्वारा जांच हेतु अब तक कुल कितने मामले लिए गए हैं;

(ख) लोकायुक्त द्वारा स्वतः कितने मामले लिए गये थे तथा इन मामलों में क्या फैसला किया गया;

(ग) कितने मामलों में लोकायुक्त ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया है और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

(घ) लोकायुक्त द्वारा दर्शाये गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या सरकार बाध्य है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा लोकायुक्त के प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष सदन में रखा जाता है, और

(च) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

मुख्य मंत्री : (क) 18

(ख) स्वतः 8 मामले लिये गये। इनमें से दो मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश की गई।

(ग) लोकायुक्त ने कुल 3 मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है। इनमें से एक मामले में निर्देशक जन सम्पर्क विभाग को उनके मूल विभाग में वापिस लौटा दिया गया है। एक सूचना अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवा निर्वित किया गया है तथा अन्य मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(घ) जी नहीं। फिर भी गंभीर मामलों में आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ङ एवं च) लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टो को उन पर की गई कार्यवाही रिपोर्टो के साथ वर्तमान सत्र में सदन में प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है।

11. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास विभाग द्वारा करावलनगर विधानसभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में क्या–क्या विकास कार्य कराए गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी;

(ग) कितनी लागत से विकास कार्य सम्पन्न हो चुके हैं, और

(घ) शेष कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अंतर्गत करावल नगर शाहदरा ब्लाक में गत दो वर्षों में किए गए कार्यो की सूची संलग्न है, (ए)

(ख) लगभग, दो करोड़ छियालीस लाख (2,46,00,000)

(ग) लगभग, दो करोड़ बारह लाख तिरेपन हजार रुपये, (212,53,000)

(घ) कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जायेगा।

वर्ष 1998–99 में किए गए कार्यों की सूची

क्र.सं.	विषय	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि (लाख रुपयें में)	प्रगति
1	2	3	4	5
1.	लिंक रोड सभापुर से चौहान पट्टी तक सड़क का जीर्णोधार	7.8.98	5.65	कार्य पूर्ण हो चुका है
2.	मंडोली गांव में शमशान घाट का विकास	24.8.98	12.30	उप.
3.	चेक रोड नं. 200 पर करावल नगर से दिल्ली उ.प्र. सीमा पर 4.25 मी. चौड़ी सड़क का निर्माण	8.10.98	22.97	उप.
4.	सामुदायिक केन्द्र सभापुर गांव में लिंक रोड आर डी 3350 मी. से एल एफ बांध तक सड़क का जीर्णोधार	8.10.98	11.11	उप.
5.	चेक रोड नं. 64 पर करावल नगर से दिल्ली उ.प्र. सीमा तक सड़क का निर्माण	8.10.98	23.10	उप.
6.	आटेरियल हाइवे से गढ़ी मेंढू तक 4.25 मी. चौड़ी सड़क का निर्माण	30.10.98	18.06	रु. 3.23 लाख खर्च हो
7.	गांव मंडोली से उ.प्र. सीमा तक (निकट भोपरा) अप्रोच रोड का निर्माण	5.11.98	17.85	कार्य पूर्ण हो चुका है
8.	गांव सादतपुर में प्राथमिक विद्यालय तक लिंक रोड का निर्माण	5.11.98	6.82	उ.प्र.

1	2	3	4	5
9.	गांव दयालपुर से मुस्तफाबाद तक अप्रोच रोड का निर्माण	18.11.98	8.57	उ.प्र.
10.	गोकुलपुर शमशान घाट तक अप्रोच रोड का सुधार	16.12.98	4.63	उ.प्र.
			131.06	

ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अंतर्गत करावल नगर शाहदरा ब्लाक में वर्ष 1999–2000 में किये कार्यो की सूची

क्र.सं.	विषय	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि (लाख रुपयें में)	प्रगति
1	2	3	4	5
1.	गांव करावल नगर से एम.सी.डी प्राइमरी स्कूल तक गांव सभा रोड का निर्माण	27.12.99	10.06	रोड का स्थान बदलने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया
2.	गांव जौहरीपुर में ग्राम सभा भूमि पर कंटीले तार लगाने के लिए	9.12.99	1.53	राजस्व विभाग से भूमि की निशानदेही प्राप्त न होने के कारण कार्य स्थगित।
3.	ग्राम मंडोली से यू.पी. बार्डर (भोपरा के नजदीक) शाहदरा ब्लाक में 4.25 मी. चौड़ी सड़क के दोनों तरफ साईड ड्रेन का निर्माण	29.12.99	18.97	70 प्रतिशत कार्य प्रगति पर।
4.	करावल नगर से दिल्ली यू.पी.	30.12.99	21.95	100 प्रतिशत कार्य

1	2	3	4	5
	बार्डर चैक रोड खसरा नं. 64 में ओपन सरफेस ड्रेन के निर्माण के लिये।			पूरा हो चुका।
5.	गांव दयालपुर से मुस्तफाबाद कबरिस्तान तक ओपन सरफेस ड्रेन के निर्माण के लिये।	19.1.2000	3.60	वही
6.	बिहारी पुर गांव के जौहड़ के चारों तरफ ग्राम सभा की भूमि पर चार दीवारी बनाने के लिए।	20.1.2000	4.05	वही
7.	गांव करावल नगर से शिव विहार शमशान घाट तक पहुंच रोड पर खडांजा बिछाना।	10.2.2000	4.13	वही
8.	करावल नगर में खसरा नं. 11/1, 23/11/2, 12/1/1, 12/2 के साथ प्रिमिक्स कारपैटिड रोड के निर्माण के लिए।	10.2.2000	3.91	कार्यवाही चालू है।
9.	आर.डी. 900 एम. (एम. एफ. बंद) से गांव सादतपुर, सर्कुलर रोड के दोनों तरफ, ओपन सरफेस ड्रेन का निर्माण।	23.12.99	40.60	100 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका।

1	2	3	4	5
10.	सादतपुर गांव के पंचायत घर के सुधार के कार्य हेतु	7.2.2000	17.14	टैंडर आमंत्रित कर लिये गये है। कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जायेगा।

12. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने महिपाल पुर विधान सभा क्षेत्र की आवासीय बसंत कुंज कालोनी के डी–4 में चल रहे एक रेस्तरां को शराब की बिक्री का "एल–4" लाइसेंस जारी किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रेस्तरां के 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर "पूजा स्थल" एवं सामुदायिक केंद्र स्थित है और चैरिटेबल अस्पताल निर्माणाधीन है, और

(ग) "एल–4" लाइसेंस देने की सरकारी नीति क्या है?

वित्त मंत्री : (क) जी हां, श्रीमान, ओरियंट टैवरन को 15.7.1999 को अनुज्ञप्ति दिया गया था।

(ख) और (ग) आवेदक के द्वारा निम्नलिखित कागजों को जमा कराने के बाद एल–4 की अनुज्ञप्ति दी जाती है।

1. स्थानीय निकायों जैसे – दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी व्यापार अनुज्ञप्ति।
2. पुलिस उपायुक्त (अनुज्ञप्ति) के द्वारा जारी "खान–पान के योग्य स्थान" की अनुज्ञप्ति।
3. वर्गीकरण के संदर्भ में पर्यटन विभाग, भारत सरकार का अनुमोदन पत्र।
4. परिसर के स्वामित्व का साक्ष्य।
5. अग्निशमन उपाय की व्यवस्था।

परिसर जिसके लिए आवेदन किया गया है, निम्नलिखित से 75 मीटर की दूरी पर हो :

1. औद्योगिक संपदा या प्रमुख निर्माण स्थल।

2. मुख्य शैक्षणिक संस्था।

3. धार्मिक स्थल।

4. अस्पताल।

5. हरीजन एवं मजदूर बस्ती।

वर्तमान नियम के तहत अनुज्ञप्ति के समय यह देखा जाता है कि परिसर से 75 मीटर की सीमा में कोई धार्मिक स्थल, अस्पताल नहीं हो। नियम के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र को विचार में रखना आवश्यक नहीं है।

13. श्री महेन्द्र यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार एक्साइज डयूटी बढ़ाने जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्री : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में सवाल ही नहीं उठता है।

14. श्री मोतीलाल बोकोलिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करोलबाग विधान सभा क्षेत्र में शराब के ठेकों पर कुछ चुनिंदा ब्राण्डों तथा सस्ती शराब की प्रत्येक बोतल पर पांच से दस रुपये तक अधिक मूल्य लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि छपे मूल्य के ऊपर कागज चिपका कर अधिक दाम वसूले जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ठेकों पर मूल्य दर्शाने के लिए सूचना पट पर नहीं लगाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री : (क) आबकारी विभाग के द्वारा किए गए जांच के पश्चात्

करोलबाग विधान सभा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर अधिक मूल्य लेने का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपरोक्त के संदर्भ में सवाल ही नहीं उठता है।

15. **श्री तरविन्दर सिंह मारवाह** : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी विभागों में जाने पर लोगों को सही सूचना नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार की विभाग से संबंधित सभी प्रकार की सूचनायें एक ही काउंटर पर देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो विवरण क्या है ?

मुख्य मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) समस्त विभागों से सूचनायें एक ही काउंटर के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं।

(i) सूचना प्रदान करने के लिए 'कम्प्यूटर वैबसाइट' पर भी प्रावधान किया गया है।

(ii) नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से भी सूचना प्रदान की जा रही है।

(iii) नागरिकों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने की योजना का प्रारूप बनाया गया है।

16. **श्री ब्रहम सिंह तंवर** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांव चान्दलहोला का खसरा नं. 162 और 162/2 डेरा गांव के खसरा नं. 12/1 और 12/2, सैदूलजाब गांव का खसरा संख्या 229, 235, 240 और 246 तथा गांव छत्तरपुर का खसरा संख्या 847, 921, 931 एवं 927 ग्राम सभा की भूमि है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जा करके खरीद फरोख्त की जा रही है;

(ग) क्या इस विषय में क्षेत्रीय लोगों द्वारा संबंधित विभाग में शिकायत की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) कब तक इस भूमि पर से अवैध कब्जे हटा लिये जायेंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) चांदल हुला का खसरा नं. 162/1, 162/2 निजी भूमि है। डेरा गांव में खसरा नं. 12/1, 12/2 मौजूद नहीं है। सैदुलाजाब गांव का खसरा संख्या 229, 235, 240 और 246 ग्राम सभा की भूमि थी पर अब वन विभाग की स्थानांतरित कर दी गई है। छत्तरपुर गांव का खसरा संख्या 847, 921, 931 ग्राम सभा की भूमि है व खसरा संख्या 927 निजी भूमि है।

(ख) ग्राम सभा की भूमि को लेकर ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) गांव सैदुलाजाब से शिकायत मिली थी। वह अवैध कब्जा दिनांक 21.6.2000 को हटा दिया गया।

(घ) उपरोक्त।

(ङ) उपरोक्त।

17. **श्री रामसिंह नेताजी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे समय से चली आ रही अपोलो हस्पताल के मजदूरों की हड़ताल के अंतर्गत मजदूरों की पुनः नियुक्ति के संबंध में क्या कोई फैसला हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस फैसले की शर्ते क्या हैं और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) इस कार्यालय की जानकारी के अनुसार इन्द्राप्रस्था मैडिकल कारपोरेशन लि. (अपोलो हस्तपाल नई दिल्ली) में दिनांक 1.1.99 से 31.10. 2000 तक की अवधि में मजूदरों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई है।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

18. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने गांव शहरीकृत हो चुके है, शहरीकृत नहीं हुए हैं तथा कुल कितने गांव बेचिराग घोषित हो चुके हैं;

(ख) दिल्ली के ऐसे गांव जो कि अंग्रेजों के समय में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए थे आज उनका दर्जा क्या है;

(ग) दिल्ली में पंचायती चुनाव किन–किन गांवों में कराने की योजना है; और

(घ) ये चुनाव कब तक करा दिए जायेगें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) दिल्ली में कुल 135 गांव शहरीकृत हो चुके हैं। तथा 233 गांव शहरीकृत नहीं हुए हैं तथा कुल 53 गांव बेचिराग घोषित हो चुके हैं।

(ख) अंग्रेजों के समय में दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए गांव आज भी भूमि अभिलेख के अनुसार गांव ही है।

(ग) से (घ) मामला विचाराधीन है।

19. श्री साहिब सिंह चौहान : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख/सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, आयुक्तों के कार्य व चाल चलन संबंधी ए. सी. आर. कौन लिखता है;

(ख) क्या उक्त अधिकारियों की ए. सी. आर. ब्यूरोकेटस के द्वारा ही लिखी जाती है;

(ग) उक्त अधिकारियों के विभागों के संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्री इन अधिकारियों की ए. सी. आर. क्यों नहीं लिखते और

(घ) क्या सरकार उक्त अधिकारियों की सी. आर./ए. सी. आर. लिखने के लिए संबंधित मंत्री को सक्षम करेगी यदि नहीं तो क्यों?

मुख्य मंत्री : (क) मुख्य सचिव की ए. सी. आर. मुख्य मंत्री दिल्ली सरकार लिखते हैं।

(2) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रिंसीपल सेक्रेट्रीज की ए.सी.आर. मुख्य सचिव दिल्ली सरकार लिखते हैं।

(3) आयुक्त (खाद्य आपूर्ति), मंडलीय आयुक्त (परिवहन) और आयुक्त (विभागीय जांच) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव लिखते हैं। आयुक्त (बिक्रीकर) व आयुक्त (आबकारी) की रिपोर्ट प्रधान सचिव (वित्त) लिखते हैं।

(ख) जी हां, सिवाय मुख्य सचिव की ए.सी.आर. जिसको कि मुख्य मंत्री लिखते हैं।

(ग) गृह मंत्रालय भारत सरकार जो कि संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है विशेषतया, आई. ए. एस. अधिकारियों की ए. सी. आर. लिखने के लिए सक्षम अधिकारियों को सक्षम करती है जिसका की दिल्ली सरकार द्वारा पालन किया जाता है।

(घ) इस विषय को सवंर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के साथ परामर्श करके अध्ययन किया जायेगा।

20. श्री मालाराम गंगवाल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के अंतर्गत मजदूरों को सीधे भर्ती न करके ठेकेदारों के माध्यम से लिए जाते हैं;

(ख) यदि मजदूरों की विभागों में आवश्यकता है, तो उनको सीधे विभाग द्वारा क्यों नहीं भर्ती किया जाता;

(ग) ऐसे मजदूरों को मजदूरी विभाग द्वारा देने के लिए और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(घ) सरकार दैनिक वेतनभोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) श्रम विभाग की जानकारी में है कि कुछ सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों ने मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से रखा हुआ है।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग ही दे पायेंगे।

(ग) संबंधित मजदूरों की ओर से आवेदन प्राप्त होने पर इस विषय में ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) दैनिक वेतनभोगियों को वर्तमान श्रम कानूनों में सुरक्षा प्राप्त है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. **श्री ब्रह्म सिंह तंवर** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली विधानसभा क्षेत्र के गांवों की चौपालों क नवीनीकरण/मरम्मत संबंधी कार्य के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है; और

(ग) महरौली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों की चौपालों का नव निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां।

(ख) गांव सैदुलाजाब के पंचायत घर की मरम्मत के लिए रुपये 1.23 लाख की एक योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) चौपालों की मरम्मत हेतु क्षेत्र निवासियों या विधायक आदि से प्रार्थना–पत्र आने पर, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उनकी अनुमानित लागत तय करता है जिस पर आदेश विकास विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। उपरोक्त एक गांव सैदुलाजाब के अतिरिक्त और कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही उन पर भी तुरंत कार्यवाही कर दी जायेगी।

2. **श्री ब्रहम सिंह तंवर** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महरौली विधान सभा क्षेत्र के गांव चान्दनहोला, असोला, फतेहपुरबेरी, माण्डी, सुल्तानपुर, आयानगर, मैदानगढ़ी, राजपुर, नेबसराय एवं सैदुलाजाब में सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन गांवों में यह योजना आंरभ कर दी गयी है;

(ग) उन्हें कब तक पूरा कर दिया जाएगा, और

(घ) शेष गांवों में सामुदायिक भवन के निर्माण की क्या योजना है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां

(ख) से (घ) महरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 गांव हैं जिनमें 8 गांव चान्दनहोला, माण्डी, सुल्तानपुर, आयानगर, मैदानगढ़ी, राजपुर, नेबसराय एवं सैदुलाजाब में समुदाय केन्द्र की वित्तीय अनुमति प्रदान कर दी गयी है। शेष दो गांव असोला व फतेहपुर बेरी का मामला विचाराधीन है।

3. **श्री ब्रहम सिंह तंवर** : क्या **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महरौली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन–किन गांवों की चकबंदी कर दी गयी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा चकबंदी के लिए जारी सूची में से महरौली क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम काट दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कौन–कौन से गांवों के नाम काट दिए गए हैं एवं इन गांवों की पुनः चकबंदी का क्या प्रावधान है;

(घ) क्या चकबंदी के दौरान गांव के गरीब एवं भूमिहीनों को आवासीय भूखंड आबंटन की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो चकबंदी के दौरान महरौली क्षेत्र के कितन लोगों को आवासीय भूखंडों का आबंटन किया गया?

विकास मंत्री : (क) महरौली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 16 गांवों की चकबंदी कर दी गयी है : 1. गदईपुर 2. जौनापुर 3. सतबड़ी 4. तिगड़ी 5. आयानगर 6. चान्दनहुला 7. राजपुर खुर्द 8. महरौली 9. सुल्तानपुर 10. शहूरपुर 11. नेबसराय 12. खानुपर 13. डेरा मांडी 14. छतरपुर 15. देवली 16. मदनगीर।

उपरोक्त में से सात गांवों में 1996 में चकबंदी के लिए दुबारा अधिसूचना जारी हो चुकी है।

(ख) महरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकबंदी के लिए अंतिम घोषणा सन् 1996 में 11 गांवों में चकबंदी करने हेतु की गई थी। इनमें से कोई भी गांव चकबंदी से नहीं काटा गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) चकबंदी के दौरान स्कीम के अंतर्गत योजनाओं का निर्धारण किया जाता है।

(ङ) चकबंदी के दौरान महरौली क्षेत्र के 1471 लोगों को आवासीय भूखंडों का आबंटन किया गया।

4. **श्री ब्रहम सिंह तंवर** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम असोला, फतेहपुरबेरी, सहूरपु और चांदनहोला के बरसाती नाले की जमीन को ग्राम सभा भूमि से निजी मिल्कियत में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस नियम के तहत किया गया है;

(ग) बरसात में पानी की निकासी के लिए सरकार ने क्या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो यह योजना क्या है और उसे कब तक आरंभ कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा गांव असोला में निजी व्यक्ति को जमीन पैमाइश 86 बीघा। बिस्वा जमीन से भूमिदार बनाया गया है।

(ख) दिल्ली भूमि राजस्व एक्ट 1954 की धारा 85 के तहत किया गया।

(ग) जी नहीं। क्योंकि विकास विभाग द्वारा 1000 क्यूसैक्स से कम क्षमता वाले नालों के निर्माण का कार्य नहीं किया जाता।

(घ) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्योंकि यह कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

5. **श्री साहब सिंह चौहान** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि कई वर्ष पहले गांव गढ़ी मैढू के पंचायत घर को विभाग द्वारा गिरा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां नया भवन बनाने के लिए योजना बनी थी;

(ग) इतना समय गुजर जाने के बाद भी उक्त कार्य पर कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(घ) पंचायत घर बनाने में प्रगति क्या है;

(ङ) यह कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा;

(च) क्या मंत्रालय देरी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा यदि हां तो क्या और कब तक?

खाद्य और आपूर्ति मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) इस गांव में नया पंचायत घर बनाने की योजना है।

(ग) व (घ) उक्त योजना पर कार्यवाही की जा रही है व मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(ङ) उपरोक्त के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6. **श्री साहब सिंह चौहान** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांव गढ़ी मैढू में वजीराबाद रोड नं. 59 (मंगल पांडे मार्ग) से गांव गढ़ी मैढू तक एक सड़क पहुँच रोड़ बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था;

(ख) वह कार्य बीच में ही क्यों छोड़ दिया गया;

(ग) उक्त सड़क को बनाने संबंधी क्या प्रगति है और

(घ) यह सड़क कब तक बननी प्रारंभ हो जाएगी?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां। 4.25 मी. चौड़ी सड़क पहुंच रोड़ बनाने का कार्य आरंभ किया गया था।

(ख) बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। अतः सड़क को और ऊंचा बनाने की आवश्यकता है। इसलिए अधिक राशि की आवश्यकता है।

(ग) जिसकी योजना तैयार की जा रही है।

(घ) धनराशि की स्वीकृति होते ही, तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

7. **श्री साहब सिंह चौहान** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि बी.डी.ओ. (मुख्यालय) ने बी.डी.ओ. (उत्तर पूर्व) को पत्र लिखा है कि सरकारी स्कूल के लिए सोनिया विहार (यमुना विहार क्षेत्र) में जगह उपलब्ध कराए,

(ख) बी.डी.ओ (उ.पू.) ने क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर संयुक्त इन्सपैक्शन कर जमीन देखी,

(ग) यदि नहीं तो क्यों;

(घ) कब तक शिक्षा विभाग की जमीन तलाश/चिन्हित कर बता दिया जाएगा?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) खंड विकास प्राधिकारी (मुख्यालय) ने खंड विकास प्राधिकारी (उत्तरपूर्व) को इस विषय में पत्र लिखा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) खण्ड विकास अधिकारी (उ.पू.) द्वारा तहसीलदार (सीलमपुर) से गांव सभा भूमि की सोनिया विहार क्षेत्र में उपलब्धता, भूमि का विवरण तथा राजस्व अभिलेख आदि मांगा गया है। आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के उपरांत यह जांच की जायेगी कि प्रस्तावित भूमि अनधिकृत कब्जों, अधिग्रहण तथा मुकदमों आदि से मुक्त है। तदुपरांत शिक्षा विभाग को भूमि आंवटन की आवश्यक शर्तों आदि के बारे में बताया जायेगा।

(घ) इस मामले में निश्चित समय तय नहीं किया जा सकता है।

8. **श्री नंद किशोर गर्ग** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली देहात के गांव के विकास के लिए पिछले पांच वर्षो में स्वीकृत धनराशि एवं वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सही है कि पिछले दो वर्षो से दिल्ली देहात का विकास कार्य लगभग ठप्प पड़ा रहा है;

(ग) गाव कंझावला, अलीपुर, घोगा इत्यादि ग्रोथ सेन्टर्स को प्रगति का विवरण एवं विकास में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क)

वर्ष	स्वीकृत करोड़ में	वार्षिक व्यय (करोड़ में)
1	2	3
1995–96	57.40	39.59
1996–97	59.25	56.42
1997–98	58.40	56.53
1998–99	68.68	39.22
1999–2000	29.92	26.06

(ख) उपरोक्त "क" के आधार पर यह कहना सत्य नहीं है।

(ग) कंझावला में जमीन चकबंदी का कार्य माननीय उच्च न्यायालय से स्थगत आदेश होने के कारण रुका हुआ है।

(2) अलीपुर में जमीन अधिग्रहण हेतु मामला भूमि व भवन विभाग में विचाराधीन हैं

(3) घोघा के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से ग्रोथ सेंटर्स बनाने के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत लेय आउट (लेय आउट प्लान) योजना स्वीकृति हेतु भेजी हुई है, स्वीकृति आने पर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

9. **श्री मुकेश शर्मा** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हस्तसाल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव व कालोनियों में सरकार के विकास विभाग ने सड़कों के निर्माण, बहुउदेश्यीय सामुदायिक केंद्र, चौपालों का निर्माण, पुल या क्रीड़ा स्थल आदि बनाने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है;

(ग) उन कार्यों को कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां।

(ख) पूरा विवरण सूची 'अ' में संलग्न है।

(ग) उपरोक्त।

सूची ''अ''

1. गांव रनहोला में खसरा नं. 74 (3–13) पर एक सामुदायिक केंद्र बनाने का प्रावधान है। इस आशय का प्रस्ताव पारित हो चुका है व मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है।
2. गांव तिलंगपुर कोटला में खसरा संख्या 10/18 (0–13) पर एक व्यायामशाला बनाने का कार्य प्रगति पर है।
3. गांव बापरौला में एक बाल्मिकी चौपाल व एक जनसाधारण चौपाल बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है व मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है।
4. गांव बक्करवाला में खसरा संख्या 91/2 में एक व्यायामशाला एवं जोहड़ विकसित करने का कार्य चल रहा है और जिसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है।
5. गांव बक्करवाला में एक नया आम रास्ता ग्राम सभा भूमि में से दिया गया है जो शमशाम तक जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं व मामला उपमंडलीय दंडाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन है।
6. ग्राम बापरौला से ग्राम नीलवाल तक एक नई सड़क का निर्माण बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।
7. गांव रजापुर खुर्द से नजफगढ़ नाले तक एक सड़क का निर्माण बाढ़ नियंत्रण विभाग करवा रहा है।
8. हस्तसाल विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण विकास विभाग के नजफगढ़ ब्लाक के अंतर्गत है। नजफगढ़ ब्लाक के अंतर्गत गांवों की विभिन्न योजनाओं हेतु अप्रैल, 2000 से अक्टूबर, 2000 तक लगभग 95 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की है।

1. हस्तसाल गांव से नजफगढ़ नाले तक के लिंक रोड़ निर्माण पूरा हो चुका है।

2. गांव रजापुर में नजफ़गढ़ नाले तक का रोड़ निर्माण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

3. गांव रनहौला में सामुदायिक भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

10. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्ती करावल नगर में वर्ष 1985–86 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्लाट काटे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि यहां पर नागरिक सुविधाओं का अभाव है; और

(घ) यहां पर समस्त नागरिक सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी, खंड़जे, नालियां, गलियां व सड़कें आदि कब तक प्रदान कर दी जायेंगी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 157 आवासीय भूखंड आवंटित किये गये थे।

(ग) जी हां।

(घ) नागरिक सुविधाएं संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः यह इस विभाग से संबंधित नहीं है।

11. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांवों का लाल डोरा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा गांवों में चकबंदी प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने और किस–किस गांव में कब से चकबंदी चालू है;

(ग) ऐसे कितने गांव हैं जहां 10 वर्षों से अधिक अवधि में चकबंदी चालू हैं तथा क्या यह भी सत्य है कि बिजवासन गांव में 1974 से चकबंदी चालू है;

(घ) क्या स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार चकबंदी की समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक समय सीमा निर्धारित की जाएगी और यदि नहीं तो क्यों?

विकास मंत्री : (क) चकबंदी क्रिया के दौरान लाल डोरा भी बढ़ाया जाता है।

(ख) 100 गांवों में चकबंदी का कार्य चालू है जिसकी प्रति संलग्न है।

(ग) ऐसे 14 गांव हैं जहां चकबंदी चालू हैं। जी हां। बिजवासन गांव में 1974 से चकबंदी चालू हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

क्र.सं.	गांव का नाम	विधान सभा का क्षेत्र	चकबंदी शुरू करने का समय
1	2	3	4
1.	सतबड़ी	महरौली	22.3.96
2.	आया नगर	"	22.3.96
3.	छत्तरपुर	"	
4.	सुल्तानपुर	"	15.11.9
5.	चान्दनहोला	"	15.11.96
6.	राजपुर खुर्द	"	"
7.	गदाईपुर	"	"
8.	भाटी	"	1996
9.	असोला	"	15.11.96
10.	फतेहपुर बेरी	"	"

1	2	3	4
11.	मैदानगढ़ी	नजफगढ़	"
12.	दिवाऊ कलां	"	15.1.96
13.	झड़ौदा कलां	"	"
14.	समयपुर	"	"
15.	काजीपुर	"	"
16.	सरनपुर	"	"
17.	मलिक पुर	"	"
18.	सुरहेड़ा	"	"
19.	खडखड़ी नहर	"	"
20.	सुरखपुर	"	"
21.	कैर	"	1.9.88
22.	मुंडेला कलां	"	15.11.96
23.	मंडेला खुर्द	"	24.9.97
24.	झुलझुली	पालम	15.11.96
25.	रावता	"	"
26.	खड़खड़ी रौंप	"	"
27.	पिंडवाला खुर्द	"	17.5.96
28.	गालिब पुर	"	15.5.96
29.	घुमनहेड़ा	"	15.11.96
30.	दरिया पुर खुर्द	"	"
31.	ताजपुर खुर्द	"	"
32.	कुतुबा पुर	"	"

1	2	3	4
33.	देवराला	पालम	15.11.96
34.	नानक हेड़ी	महिपाल पुर	8.9.93
35.	बाडसराये	"	8.9.93
36.	राधो पुर	"	"
37.	असालत पुर खानम	"	15.11.96
38.	बिजवासन	"	27.3.92
39.	बामनौली	"	8.9.93
40.	समालखा	"	22.3.96
41.	रजोकरी	"	22.3.96
42.	रंगपुरी	"	"
43.	घटोरनी	"	"
44.	बवाना	बवाना	15.11.96
45.	ओचंदी	"	5.9.88
46.	दरिया पुर कलां	"	9.6.88
47.	पूंठ खुर्द	"	1.9.88
48.	सुल्तान पुर डबास	"	8.9.93
49.	बाजित पुर ठकरान	"	23.2.96
50.	नांगल ठककरान	"	"
51.	हरेवली	"	8.9.93
52.	कटेपड़ा	"	27.11..96
53.	निजामपुर राशिदपुर	"	22.3.96
54.	कंझावला	"	8.8.93

1	2	3	4
55.	ब्रहनपुर माजरा	बवाना	22.3.96
56.	सलाह पुर माजरा	"	"
57.	चाँदपुर	"	"
58.	जडखोड़	"	5.9.88
59.	पंजाब खोड़	"	22.3.96
60.	चटेरान	"	4.5.89
61.	लाड पुर	बवाना	8.9.93
62.	गडी रिडांला	"	22.3.96
63.	मदनपुर डबास	"	"
64.	मुबारकपुर डबास	बवाना	22.3.96
65.	कुतब गढ़	"	"
66.	रानीखेड़ा	नांगलोई जाट	"
67.	रावदा	"	"
68.	रसूल पुर	"	"
69.	प्रहलाद पुर बांगर	साहबद दौलत पुर	15.11.96
70.	बरवाला	"	"
71.	लिबासपुर	बादली	"
72.	सिरस पुर	"	"
73.	खेड़ा कलां	"	22.3.96
74.	बांकनेर	नरेला	"
75.	नगली झुंडा	"	21.3.90
76.	घोगा	"	22.3.96

1	2	3	4
77.	सिंघोला	नरेला	5.9.88
78.	बांकोली	"	"
79.	कादीपुर	"	1.9.88
80.	मुखमेल पुर	"	22.3.96
81.	अलीपुर	"	5.9.91
82.	बखतावर पुर	"	5.9.88
83.	हिरनकी	"	
84.	अकबर पुर माजरा	"	8.9.93
85.	पल्ला	"	22.3.96
86.	कुलक पुर	"	8.9.93
87.	इब्राहीम पुर	"	9.8.93
88.	सिंधु	"	22.3.96
89.	खामपुर	"	5.9.98
90.	झंगोला	"	8.9.93
91.	मुहम्मदपुर	"	22.3.96
92.	ताजपुर कलां	"	"
93.	तिग्गी पुर	"	"
94.	जिंदपुर	"	"
95.	बापरौला	नजफगढ़	22.3.96
96.	हिरन कुदना	"	5.9.88
97.	रनहौला	"	22.3.96
98.	निलबाल	"	1996

1	2	3	4
99.	बक्करवाला	नजफगढ़	5.9.88
100.	तिलंगपुर कोटला	"	22.3.96

12. श्री महेन्द्र सिंह : क्या **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महीपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की बिना अनुमति के कृषि भूमि व सरकारी भूमि पर "बैक्टहॉलों" और "रेस्तराओं" का अनाधिकृत निर्माण किया गया है और संबंधित भूमि को भू–उपयोग बदल जाने के कारण दिल्ली भूमि संशोधन अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत ग्राम सभा में समाहित कर दिया गया है;

(ख) ग्रामसभा में समाहित भूमि पर बने "बैंक्विट हालों" और "रेस्तराओं" के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ग) इन अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विकास मंत्री : (क) व (ख) जी हां। कार्यवाही भूमि सुधार अधिनियम, 1954 एवं इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधान के अनुसार रेवेन्यू असिस्टैंट के पास लंबित हैं।

(ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा मामला प्रकाश में आया तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

13. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 में आबकारी विभाग ने अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या–क्या कार्य किए हैं, और

(ख) वर्ष 2000 में कितने छापे मारे गए व कितनी नकली शराब पकड़ी गई भविष्य में जहरीली शराब से कोई मौत न हो इसके रोकने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करें?

वित्त मंत्री : (क) राजस्व में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं उनमे

से प्रमुख इस प्रकार हैं :

1. दुकानों की संख्या में वृद्धि।
2. बिक्री के समयावधि में वृद्धि।
3. अनुज्ञप्त परिसरों में उपभोग घंटों में वृद्धि के द्वारा।
4. सघन तस्करी–विरोधी अभियान के द्वारा।
5. तकनीकी परिवर्तन जैसे बार कोडिंग, ताकि निषिद्ध मदिरा को रोका जा सके, के द्वारा।
6. शुष्क दिवसों को कम करके।

(ख) जुलाई 2000 तक, 3999 केस रजिस्टर्ड हुए, देश में निर्मित विदेशी शराब की 50407 बोतलें, देशी शराब की 24935 बोतलें और 535934 पाउचज जब्त किए गए।

पुलिस के सहयोग से लगातार चलने वाले सतर्कता अभियान, जांच पड़ताल, जब्ती और गिरफ्तारी के अलावा सरकार ने देशी मदिरा, जो कि समाज के सबसे निम्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करता है, के मूल्य को न्यूनतम पर रखा है। इसके अलावा आबकारी विभाग बिक्री से पहले देशी मदिरा के गुणवत्ता को अपने आबकारी प्रयोगशाला में नियमपूर्वक परखता है।

14. **श्री जगदीश आनंद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में बीयर की बिक्री के लिए पिछली सरकार की नीति क्या थी;

(ख) इस नीति को कैसे और क्यों परिवर्तित किया गया;

(ग) क्या सभी कंपनियों को बीयर का कोटा समान रूप से आबंटित किया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य नहीं है कि कर्नाटक की एक कंपनी के दो ब्राण्डों को अधिकतम कोटा दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह नीति संगत था और

(च) बीयर के कोटे आबंटित नीति में बार–बार परिवर्तन के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री : (क) बीयर के विभिन्न ब्रांडों की मुख्य विक्रय नीति यह है कि चारों कारपोरेशन ने लोकप्रियता के आधार पर तेज बिक्री वाले और धीमी बिक्री वाले में विभिन्न ब्राण्डों को विभाजित किया है।

(ख) ब्रांड के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नीति को परिवर्तित किया गया था। इसके लिए अखिल भारतीय बिक्री को आधार बनाकर चारों कारपोरेशन के आदेश क्षमता में एकरूपता लाई गई।

(ग) नवम्बर 1999 तक बीयर का कोटा सभी लोकप्रिय ब्राण्डों में समान रूप से विभाजित था। लेकिन उसके बाद यह विभाजन अखिल भारतीय बिक्री के आधार पर किया जाने लगा।

(घ, ङ और च) लोकप्रिय ब्राण्ड के निर्धारण के लिए अखिल भारतीय बिक्री को आधार बनाया गया। यह सही है कि नए फार्मूलों को अपनाने के बाद विभिन्न कम्पनियों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है।

15. **श्री शीशपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने क्लबों/ रेस्टोरंटों में शराब परोसने की स्वीकृति दिल्ली सरकार ने दी हुई है, इसकी शर्ते क्या हैं; और

(ख) गत वर्ष में कितने क्लबों/ रेंस्टोरंटों में अनियमितताएं पाई गई व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री : (क) अब तक 93 रेस्टारेंटों और 38 क्लबों को अनुज्ञप्ति दी जा चुकी है। अनुज्ञप्ति धारक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है :

1. मदिरा की सेवा सुविधा अनुज्ञप्त क्षेत्र के भीतर तथा निर्धारित समय के मध्य दी जाएगी।
2. 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को मदिरा का सेवन नहीं करने दिया जाएगा।
3. महिलाओं को मदिरा बांटने में नहीं लगाया जाएगा।

(ख) अब तक 13 केसों में शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। 3 केसों में जुर्माना लगाया गया है तथा 10 केस विचाराधीन हैं।

16. **श्री शीशपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के फार्म हाउसों में शादी के अवसर पर जो शराब परोसी जाती है, उसके लिए सरकार के क्या मापदंड हैं; और

(ख) आज तक कितने फार्म हाउसों पर छापे मारे गये, जहां अनधिकृत रूप से शराब परोसी जा रही थी व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री : (क) दिल्ली में मदिरा से संबंधित कानूनों के आधार पर परोसा जाता है। व्यावसायिक परिसरों में विभिन्न अभिज्ञप्ति के निर्धारित मानदंडों के अनुसार जैसे प्रारूप एल–4 (रेस्टोरेंट के लिए अभिज्ञप्ति), एल–5 (होटल के लिए अभिज्ञप्ति) तथा एल–19 (क्लबों के लिए अभिज्ञप्ति) के निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर परोसा जाता है। निजी परिसरों में, दिल्ली इनटाक्सिकेंट लाइसेंस और सेल्स रूल्स, 1976 के अंतर्गत बनाए गए विधि के अनुसार अधिकतम निर्धारित मदिरा की मात्रा के अनुपालन के आधार पर किया जाता है।

(ख) जनवरी, 1998 से फार्म हाउस में गैर कानूनी रूप ये मदिरा परोसने के 26 केस दर्ज किए गए हैं और 49 व्यक्तियों को मदिरा परोसने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।

17. **श्री नंद किशोर गर्ग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब की "पापुलर ब्रांड" घोषित करने के सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) 1998–1999 में बीयर के कौन–कौन से "ब्रांड" इस श्रेणी में रखे गए और इनकी कितनी–कितनी मात्रा सरकार के माध्यम से बेची गई;

(ग) 1998–99 में किसी कंपनी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया गया था तो उसके क्या कारण थे और यह प्रतिबंध किन कारणों से हटाए गए और इस नीति को क्यों बदला गया;

(घ) 2000–2001 की नीति में परिवर्तन किए और अंतर्राष्ट्रीय "ब्रांड" की भारत में निर्मित "पापुलर ब्रांड" को कितनी मात्रा में दिल्ली सरकार ने क्रय किया?

वित्त मंत्री : (क) सिर्फ बीयर में ही विभिन्न ब्रांडों को लोकप्रियता के आधार पर विभाजित किया गया है। अखिल भारतीय बिक्री इसका आधार है।

(ख) वर्ष 1998–1999 के दौरान सरकार ने ब्राण्डों के मध्य लोकप्रियता के आधार पर कोई विभाजन नहीं किया था। कारपोरेशन ने तेज बिक्री और धीमी बिक्री के मध्य यह विभाजन किया था।

(ग) कुछ कंपनियों के ऊपर निषेध लगाने का कारण सरकार की विज्ञापन विधि का पालन नहीं करना था जब नई विज्ञापन विधि के अनुसार यह उल्लंघन नहीं रहा तब निषेध हटा दिया गया। विज्ञापन विधि में नीतिगत परिवर्तन केबल टेलिविजन नेटवर्क 'रेग्युलेशंस' एक्ट, 1995 के अनुरूप किया गया।

(घ) वर्ष 2000–2001 के नीति में मुख्य परिवर्तन उपभोक्ता की इच्छा की दृष्टि को ध्यान में रखना है। लोकप्रिय वर्ग में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैक–बैक है जिसकी अप्रैल से अक्टूबर के मध्य बिक्री 66637 केस हैं।

18. श्री मुकेश शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी में सरकारी दुकानों के समानान्तर शराब की अवैध बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्यों, और

(ग) गत एक वर्ष में राजधानी में कितनी अवैध शराब पकड़ी गई तथा आबकारी नियम के अंतर्गत कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाही की गई, उसका विवरण क्या है?

वित्त मंत्री : (क), (ख) और (ग) निषिद्ध मदिरा की बिक्री को दिल्ली में रोकने के लिए आबकारी विभाग में एक प्रर्वतन शाखा है। दिल्ली में पुलिस से भी इसके लिए सहयोग लिया जाता है। यथा संभव प्रवर्तन प्रयासों के बाद भी जब कभी भी निषिद्ध मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है। प्राथमिकी दर्ज करा कर नियमानुसार आवश्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 1999 के दौरान 6013 केस दर्ज हुए, 6588 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 14832 बोतल तथा 783888 पाउच जब्त किए गए।

19. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो नई शराब की दुकानें खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित गए गए हैं व इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या करावलनगर विधानसभा क्षेत्र में मेन रोड पर कुछ शराब की दुकानें खोली गई हैं तथा क्या इन दुकानों को खोलने से पूर्व क्षेत्रीय प्रतिनिधियों/निवासियों की राय ली गई थी;

(घ) इन दुकानों को यहां से कब तक अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जायेगा;

(ङ) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 (जुलाई, 2000 तक) में कितनी नई शराब की दुकानें कहां–कहां खोली गई, और

(च) क्या ये सभी दुकानें उचित मानदंडों के अनुसार खोली गई?

वित्त मंत्री : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) नई शराब की दुकानें खोलने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं :

अ. दुकान निम्नलिखित में से 75 मीटर के अंदर स्थित नहीं होनी चाहिए।

1. औद्योगिक संपदा या प्रमुख निर्माण स्थल।
2. मुख्य शैक्षणिक संस्था।
3. धार्मिक स्थल।
4. अस्पताल।
5. हरीजन एवं मजदूर बस्ती।

ब. स्वामित्व का साक्ष्य।

स. क्षेत्रीय विधायक का अनापत्ति पत्र।

(ग) जी हां, श्रीमान क्षेत्रीय विधायक से अनापत्ति पत्र लिया गया था।

(घ) दुकान को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) 1999–2000 16

2000–2001 7 (जुलाई, 2000 तक)

(परिसर का ब्यौरा संलग्न है।)

(च) जी हां, श्रीमान।

एल–2 वेन्डस की लिस्ट 1999–2000

1999-2000

डी.एस.सी.एस.सी. 1. तोमर मार्केट, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक कपूर पेट्रोल पंप, गांव गोकलुपर, दिल्ली।

2. 74, आइडियल ट्रक पार्किंग सेंटर, मंजनू का टीला, दिल्ली।

3. टी– 764, डी सी एम रोड किशन गंज, दिल्ली।

4. खसरा नं. 10/24, शिवा मार्केट, मेन जी टी रोड, सिंघु बार्डर, दिल्ली।

5. सी–150/ए मेन मथुरा रोड, बदरपुर, दिल्ली।

6. 21/21, 100 फीट वाइड रोड, झरोदा मजरा, बुराडी रोड, दिल्ली।

7. 10/24, शिवा मार्केट, मेन जी टी रोड, सिंधु बार्डर, दिल्ली।

8. खसरा नं. 10/6/2, सिंधु बार्डर, नजदीक भागीरथी धर्मकांटा, दिल्ली।

डीसीसीडब्ल्यूएस 9. 1, 8 एवं 9, 18–ए गुरु कृपा एवं फूलवती काम्पलैक्स, पीरागढ़ी, दिल्ली

10. ई–7,8, शिव मार्केट, बुद्ध विहार, बदरपुर, दिल्ली

11. भाटी मार्केट, हर्ष विहार, ब्लाक डी–30 बदरपुर, दिल्ली।

डी.टी.टी.डी.सी. 12. 124/4, सिंधु बार्डर, मेन जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली।

13. सी–1, शिव मार्केट, मेन मथुरा रोड, बदरपुर, दिल्ली।

14. 33/9/12, भवाना रोड, समयपुर, दिल्ली।

15. लाजपत नगर से गणेश-11/जे/35/ए, लाजपत नगर।

डी.एस.आई.डी.सी. 16. 7717, न्यू मार्केट, करोल बाग, दिल्ली।

2000-2001

डी.सी.सी.डब्ल्यू.एस. 1. 274 मुकेश कुमार यादव मार्केट, नहारपुर, रोहिणी सैक्टर–7, दिल्ली।

2. खसरा नं. 585/202, खिचड़ीपुर मेन मार्केट, दिल्ली।

3. 546, साइट 1 मार्केट, ए ब्लाक विकासपुरी, नई दिल्ली।

4. 8, रोड नं. 13/ए, सरिता विहार, नई दिल्ली।

5. 4, रोड नं. 4, जसोदा, बदरपुर, नई दिल्ली।

डी.एस.सी.एस.सी. 6. खसरा नं. 94 रामजीलाल मार्केट, मदनपुर खदर, एल पाकेट के सामने, सरीता विहार।

7. खसरा नं. 541–542, दुकान नं. 2 आया नगर, गुडगांवा महरौली रोड, नई दिल्ली।

20. श्री महेन्द्र सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में महिपाल पुर विधान सभा क्षेत्र में आया नगर गांव के समीप, महरौली गुडगांवा रोड पर दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा शराब की दो दुकानें खोली गई हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक दुकान महिपालपुर विधान सभा क्षेत्र की सीमा में स्थित है, अगर हां तो क्या दुकान खोलने से पूर्व नियमानुसार संबंधित विधान सभा सदस्य से विधिवत् स्वीकृति ली गई;

(ग) अगर नहीं, तो क्यों और नियमों का उल्लंघन करके शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री : (क) जी हां, श्रीमान् यह सही है कि महरौली गुड़गांवा रोड पर आया नगर में निम्न पतों पर दो दुकानें खोली गई हैं :

1. खसरा नंबर – 541–542 दुकान नंबर–2, आया नगर, महरौली गुडगांवा रोड।
2. खसरा नंबर 203–ए, महरौली गुडगांवा रोड।

(ख) जी हां, श्रीमान क्षेत्रीय विधायक से इन दुकानों को खोलने के संबंध में अनापत्ति पत्र लिया गया था।

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में सवाल ही नहीं उठता है।

21. डा. हर्षवर्धन : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की नई सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नई सुविधाजनक (लक्जरी) कारें खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) इस प्रस्ताव को लागू करने पर कितनी राशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) पिछले दो वर्षों में सरकार ने पुराना सचिवालय के अपने कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए कितनी राशि व्यय की है?

मुख्य मंत्री : (क) जी नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनावश्यक खर्चो को कम करने के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर आर्थिक प्रतिबंध जारी किए गए हैं। इस विषय पर नवीनतम जारी किए गए आदेशों की प्रति संलग्न है।

(घ) पिछले दो वर्षों में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष 1998–1999 रुपये 252.38 लाख

वर्ष 1999–2000 रुपये 284.26 लाख

No. F 14(9)/99 Fin (B)
Govt. of NCT of Delhi
Finance (Budget) Department
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054
Dated the 29th September, 2000

To

1. All administrative Secretaries/Heads of Departments. Govt. of NCT of Delhi.
2. All Autonomous Bodies of Delhi Govt.
3. The Chairman, Delhi Vidyut Board, Shakti Sadan, Nehru Place, New Delhi.
4. The Chairman, Delhi Transport Corporation, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, Varunalaya, Jhandewalan, New Delhi.

Subject : Guidelines on expenditure management-Fiscal prudence and Austerity

Sir/Madam,

In continuation of this Department's letters No. F-14(9)/99 Fin(B), dated 15.12.1999, No.F.14(9)/99 Fin(B), dated 29.8.2000 and No. 14(9)/99 Fin(B), dated 20.9.2000 regarding economy in Plan and Non-plan expenditure, 10% mandatory cut in non-salary Non plan expenditure and use of staff car/office room respectively, I am directed to forward herewith a copy of O.M. No. F-7(4)/E-Coord/2000 dated the 24th September, 2000 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure on the subject cited above for your information and strict compliance.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully.
(G.R. Gupta)
Deputy Secretary Finance (Budget)
Tel. No. 3966607

Encl : As above.

F.No. 7(4) E-Coord /2000

Government of India

Ministry of Finance

Department of Expenditure

New Delhi, the 24th September, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Guidelines on expenditure management - Fiscal prudence and Austerity.

In continuation of this Department's O.M. No. 7(3)/E-Coord/1999 dt. 5th August, 1999 and with a view to further control the growth in non-plan, non-developmental expenditure, government has divided that the following further austerity measures shall be enforced with immediate effect :

(i) There shall be a mandatory 10% cut in the Budgetary allocation for non-plan, non salary expenditure of all Ministries/Departments and Autonomous institutions.

(ii) Utmost economy should be exercised in use of staff cars and official vehicles. There shall be a 10% cut in the consumption and allocation of funds for expenditure on PCL for staff cars.

(iii) There will be a complete ban on purchase of new vehicles for one year.

(iv) Implementation of existing instructions concerning 10% cut in posts and abolition of posts lying vacant for more than one year should be ensured. There shall be a ban on creation of new posts in all Ministries/Departments/Autonomous institutions for one year.

(v) Foreign travel should be restricted to unavoidable official engagements and there shall be a ban on foreign travel for Study Teura Seminars etc. size of official designations, where foreign Travel is unavoidable, shall be restricted to the bare minimum.

(vi) The permissible per diem allowance for travel aboard shall stand reduced by 25% for all countries and for all categories officials non-officials. These instructions shall also apply to autonomous institutions and PSUs.

(vii) Austerity should be reflected in organising Conference/Seminars/Workshops. Existing guidelines for holding such events and expenditure ceilings thereon should be enforced.

2. Secretaries to the Government of India and Financial Advisers are requested to ensure strict compliance of the above instructions.

(C.M. Vasudev)

Secretary to the Govt. of India

To

1. All Secretaries to the Government of India (By Name)
2. All FAs (By Name)
3. All Chief Secretaries of State Governments
4. All Heads of Public Sector Enterprises.

No. F-14(9)/99-Fin (B)

Govt. of NCT of Delhi

Finance (Budget) Department

5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

Dated : 15.12.1999

To

1. All administrative Secretaries/
   Heads of Department, Govt. of NCT of Delhi.
2. All Autonomous Bodies of Delhi Govt.
3. The Chief Executive Officer, DJB, Varunalaya, New Delhi.
4. Chairman, D.T.C. I.P. Estate, New Delhi.
5. Chairman, D.V.B. Shakti Sadan, New Delhi.

Sub : Economy in Plan & Non-Plan Expenditure.

Sir/Madam,

I am directed to invite a reference to this Department's endorsement No. F14(9)/99-Fin(B), dated 25.8.1999, forwarding there with a copy of O.M. No. 7(3)/E-Coord) 99 dated 5-8-1999 from Govt. of India. Ministry of Finance, Deptt.

of Expenditure, New Delhi regarding expenditure management, fiscal prudence and austerity and to say that following measures should be adopted by all the Departments for strict compliance with immediate effect.

(i) Review of Plan/Non-Plan Schemes :

The Departments will review all the schemes implemented by them both under plan & non-plan and will identify redundant activities to avoid superfluous expenditure. The review will be conducted by a screening committee consisting of :-

1. Administrative Secretary concerned.
2. Head of Department.
3. Representative of Admn. Reforms Department.
4. Representative of Services Department.
5. Representative of Associate Finance Department not below the rank of Dy. Secretary.
6. Representative of Planning Department.

The committee will submit its report by 15th January, 2000.

(ii) Ban on creation/filling-up of Non-plan Posts and appointment of daily wages/ contract basis.

There will be total ban on creation of new posts under Non-plan and also filling up of vacant posts except by promotion and in case of operational posts e.g. teachers, doctors, para-medical staff & drivers, etc. and appointment on compassionate grounds. The Deptts. will also not make any fresh appointment on daily wages or on contract basis. In case of engagement of Daily wagers Head of Department will be personally responsible.

(iii) Ban on purchase of new vehicles under Plan and Non-plan.

There will be total ban on purchase on new vehicles, whether replacement or fresh purchase.

(iv) Economy in Plan and Non-Plan expenditure other than salary expenditure.

The Departments will not incur any expenditure on Air Conditioners, new telephone connections both at residence and in offices, purchase of fax ma-

chines, new furniture fridges etc. Austerity must be exercised in expenditure on meetings, inaugurations and on furnishing offices/residence. The expenditure on inaugural functions should be restricted to Rs. 10000/- in each case.

(v) Cut in expenditure on advertisement and publicity.

The Department shall make a 10% mandatory cut during the current financial year on advertisement and publicity with reference to the actual expenditure incurred during the year 1998-99.

(vi) Economy in expenditure on stationary items.

The Departments will impose 10% cut in their expenditure on stationary items with reference to the expenditure incurred during the year 1998-99.

(vii) Expenditure on security/sanitation services.

The Department will not engage the services of private security/sanitation services unless and until they locate matching savings by abolition of vacant posts in the Department. In cases where the Department have already engaged private security/sanitation services, they will furnish a Certificate to the effect that they have located matching savings to that extent by abolition of posts and the details of posts so abolished have also to be furnished to Finance Department. No Deptt. shall increase the number of security guards already deployed.

(viii) Honorarium to be completely banned.

There will be complete ban on sanction of honorarium to the Staff.

(ix) Economy in Expenditure on Petrol.

The Departments will minimise the expenditure on Petrol and will impose a ceiling on drawl of Petrol not exceeding 200 Liters per vehicle per month.

(x) Economy in the use of Cellular Phones.

No new cellular phones would be purchased or hired by any department. The Departments will review the necessity of Cellular Phones provided to their Officers and will restrict the use thereof by the officers only in cases where it is considered to be most essential keeping in view the nature of work involved. Each & every Department will furnish a list of officers having cellular phones, with justification for continuing, within a month to the Associate Finance Department.

These instructions will also apply to all the autonomous bodies, public sector undertakings (including DTC. DVB & Delhi Jal Board) and grantee institutions.

Yours faithfully

(Ramesh Chandra)

Principal Secretary (Finance)

No. F-14(9)/99-Fin(B)

Govt. of NCT of Delhi

Finance (Budget) Department

5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

Dated : 20-9-2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Economy in Govt. Expenditure**

A reference is invited to this Department's letter No.F-14(9)/99-Fin(B), dated 15-12-1999 (copy enclosed for ready reference) on the subject cited above, and to say that in a number of cases the officers who are holding charge the more than one post, in addition to their own duties, are having more than one staff car/office room with them. It has now been decided that no officer whether holding charge of one or more than one post shall, henceforth, be allowed to use more than one staff car and /or to occupy office room at more than one place.

These orders came into force with immediately effect.

(Ramesh Chandra)

Pr. Secretary (Finance)

To

All Administrative Secretaries/

Heads of Departments,

Govt. of NCT of Delhi.

Encl. As above

22. **श्री मालाराम गंगवाल** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार एवं अन्य स्थानीय निकायों के अंतर्गत कार्यरत लिपिकों, चपरासियों इत्यादि को नौकरी के दौरान अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग, सेमिनार, कार्यशाला आदि का प्रावधान है अथवा नहीं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने निम्न वर्ग के इन कर्मचारियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई और कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का प्रावधान करेगी ताकि इस प्रकार की कार्यशालाओं में कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकें?

मुख्य मंत्री : (क), (ख) एवं (ग) वांछित सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी विभागों एवं अन्य स्थानीय निकायों से एकत्रित की जा रही है तथा सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

23. श्री नंद किशोर गर्ग : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) श्रम कानून के अंतर्गत दिल्ली की अदालतों में कुल कितने मामले लम्बित हैं तथा 31.3.99 व 31.3.2000 तथा 1 नवम्बर, 2000 तक का विवरण क्या है;

(ख) न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्रवायी की गई; और

(ग) क्या दिल्ली में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों/कर्मचारियों को दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दरों पर भुगतान न किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली के 10 श्रम न्यायालयों और 3 औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष निम्न अवधि में कुल लम्बित मामलों का विवरण इस प्रकार है :–

दिनांक 31.3.1999 को – 35761 मामले

दिनांक 31.3.2000 को – 28914 मामले

दिनांक 30.9.2000 को – 28372 मामले

(ख) वर्ष 2000 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम उल्लंघन करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और जांच करने पर उस शिकायत में सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई।

(ग) दैनिक वेतन भोगी मजदूरों/कर्मचारियों को दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में शिकायतें समय–समय पर मिलती रहती है, जिन पर छानबीन कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

24. **श्री मोहन सिंह बिष्ट** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) इस समय श्रम न्यायालय में श्रमिकों के कितने मुकदमें लम्बित हैं और कब से;

(ख) इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1999–2000 में कुल कितने मुकदमें निपटाये गये, उनका विवरण, और

(घ) श्रमिकों से संबंधित मुकदमें तत्काल निपटाये जाने तथा उनके अधिक से अधिक कल्याण के लिए क्या योजना तैयार की जा रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिनांक 3.9.2000 को दिल्ली के 10 श्रम न्यायालयों एवं 3 औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समय कुल 28,372 मामले लम्बित थे। जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

समयावधि	संख्या
1.6 माह से 1 वर्ष	4034
2.1 वर्ष से 2 वर्ष	5066
3.2 वर्ष से 3 वर्ष	3722
4.3 वर्ष से 4 वर्ष	3187
5.4 वर्ष से 5 वर्ष	3205
6.5 वर्ष से 10 वर्ष	6808
7.10 वर्ष से अधिक	2350
कुल	28,372

(ख) मुख्यतः मामलों के लम्बित होने का कारण वादी एवं प्रतिवादी पक्षों द्वारा बारम्बार स्थगन की मांग किया जाना, मामले में गवाहों का समय पर उपस्थित न होना एवं कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों की कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी किया जाना इत्यादि सम्मिलित है।

(ग) वर्ष 1999–2000 में श्रम न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा कुल 13,122 मामलों का निपटान किया गया जिसमें से 8408 औद्योगिक विवाद तथा 4714 औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33/सी–2 के अंतर्गत लगाये गये दावे हैं।

दिल्ली सरकार के अंतर्गत तीन औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 10 श्रम न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ही इनके कार्य की समीक्षा करता है।

(घ) श्रमिकों से संबंधित मुकदमों को तत्काल निपटाये जाने के आशय से श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दो और श्रम न्यायालयों को स्थापित किये जाने की योजना है।

25. डा. हर्षवर्धन : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) सरकार ने अपने प्रशासनिक सुधार को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) सरकार के विभिन्न विभागों में कुल कितने पद अभी तक रिक्त पड़े हैं;

(ग) सरकार ने पिछले दो वर्षों में इन खाली पदों को **भरने के लिए क्या** कदम उठाये हैं?

मुख्य मंत्री : (क) प्रशासनिक सुधार को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

1. प्रशासन सुधार की प्रगति बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार स्थाई समिति (Standing Committee on Administrative Reforms) का गठन किया गया है।
2. कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

3. सरकारी कामकाज को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

4. जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए "नागरिक अधिकार पत्र" (Citizen's Charter) जारी किए गए हैं।

(ख) सरकार के 61 विभागों में 8197 पर रिक्त पड़े हैं।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :-

1. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं।

2. संघ लोक सेवा आयोग एवम् दिल्ली संघ राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को उनके द्वारा भरे जाने वाले पदों की सूचना भेजी गई है ताकि चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए संबंधित विभागों द्वारा चयन प्रक्रिया जारी है।

26. श्री मालाराम गंगवाल :

श्री महेन्द्र यादव :

क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन में सुधार कर कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कुशलता बढ़ाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. प्रशासन सुधार की प्रगति बढ़ाने के लिए "प्रशासनिक सुधार स्थाई समिति" (Standing Committee on Administrative Reforms) का गठन किया गया है।

2. कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

3. सरकारी कामकाज को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

4. जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए "नागरिक अधिकार पत्र" (Citizen's Charter) जारी किए गए हैं।

27. **श्री मुकेश शर्मा** : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी में तीस हजारी अदालत के भवन में मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कमरों की कमी है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अदालतों में लिपिक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है, यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि तीस हजारी अदालत की आखिरी मंजिल अनधिकृत रूप से बनी हुई है और उसका नक्शा पास नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

मुख्य मंत्री : (क) इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ख) –वही–

(ग) –वही–

(घ) –वही–

(ङ) –वही–

28. **श्री महेन्द्र यादव** : क्या **मुख्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार बाल अपराधों हेतु बनाये गये कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है ताकि पीड़ित को सस्ता कम खर्चीला न्याय मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मुख्य मंत्री : (क) केन्द्रीय सरकार का सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय इसमें संशोधन कर रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार से संबंधित है।